Postal Registration No. CHD/0107/2021-2023 Posted at MBU Chandigarh RNI No. CHABIL/2000/3469

हिन्दी/अंग्रेजी मासिक पत्रिका

दीन बन्धु सर छोटूराम

जाट लहर

जाट सभा सत्यमेव जयते

जाट सभा, चण्डीगढ़ के सौजन्य से प्रकाशित

वर्ष 21 अंक 08 30 अगस्त, 2021 मूल्य 5 रुपये

प्रधान की कलम से

राजद्रोह कानून बनाम प्रजातंत्र

डा. महेन्द्र सिंह मलिक

आज राजद्रोह कानून बनाम प्रजातंत्र के मुकाबले में देश की जनता, विशेषकर वो लोग जो सरकार नहीं बल्कि उनकी नीतियों के खिलाफ होते हैं उनको राजद्रोह कानून की आड में क्यों पीसा जा रहा है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2021 में केंद्र सरकार से पूछा है कि आज़ादी के 75 साल बाद राजद्रोह के कानून की क्या आवश्यकता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस कानून का स्वतंत्रता सेनानियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया था। मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह बताते हुए कि महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के ख़िलाफ़ राजद्रोह क़ानून का इस्तेमाल किया गया था और पूछा कि इसे रद्द क्यों नहीं किया जा सकता है। चीफ़ जस्टिस एन वी रमन्ना ने कहा कि आपकी सरकार आईपीसी की धारा 124 ए (जो राजद्रोह के अपराध से संबंधित है) को निरस्त करने पर विचार क्यों नहीं कर रही है? और कहा कि यह एक औपनिवेशिक क़ानून है, क्या आज़ादी के 75 साल बाद भी इस क़ानून की आवश्यकता है?

उपरोक्त टिप्पणी के बावजूद आज भी देश में जो व्यक्ति अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल कर सरकार की गलत नीतियों का मुखर विरोध करना चाहते हैं उनकी आवाज को दबाने के लिए हर सरकार ने इस हथियार का इस्तेमाल किया है लेकिन अब लोग चाहते हैं कि इस मसले पर कोई समाधान तक पहुंचा जाए क्योंकि इस कानून का अभी तक दुरुपयोग ही होता आया है।

मनमाने तरीके से लोगों के लिखने, बोलने और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर राजद्रोह जैसी धारा लगाई जा रही है। जनहित में अन्याय/गलत कार्यों के विरूद्ध आवाज उठाने वाले समाज सेवियों, स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यकर्त्ताओं, वरिष्ठ नागरिक, प्रजातंत्र का तीसरा स्तम्भ कहा जाने वाले पत्रकारों, स्वतंत्रता सेनानियों तथा अपने हितों के लिए संघर्ष कर रहे किसान काश्तकारों के विरूद्ध भी देशद्रोह के मामले दर्ज किये जा रहे है जो कि एक स्वस्थ प्रजातंत्र के लिये शर्म का विषय है। सरकार द्वारा पारित कृषि विरोधी कानूनों के विरूद्ध शांतिपूर्वक तरीके से आवाज उठाने वाले किसानों के विरूद्ध भी देशद्रोह के मुकदमों में गिरफ्तार किसानों को उच्च न्यायालय ने रिहा करते हुये स्पष्ट टिप्पणी की है कि अपने विचार व्यक्त करने का प्रत्येक नागरिक का सुदृढ़ मौलिक अधिकार है जिसमें स्वस्थ प्रजातंत्र की नीव मजबूत होती है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि पुलिस, अभियोजक और राजनैतिक कार्यकारिणी इस प्रकार के आतंकवादी कानूनो पर कार्यवाही करने में सक्षम नहीं है इसके लिये न्यायतंत्र को आगे आना होगा। जासूसी तथा देशद्रोह कानून सदैव लोकतंत्र के लिये नुकसान दायक रहे है।

गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून का प्रयोग आम कानून की तरह लगातार जारी है। एक वरिष्ठ आदिवासी अधिकार कार्यकर्त्ता की देशद्रोह के मुकदमों के दौरान जेल में ही मृत्यु हो गई जबकि उसकी खराब स्वास्थय की दरखास्त अभी विचाराधीन है। न्यायालय की इस प्रकार की कार्यवाही पर सर्वोच्च न्यायालय को दो पूर्व वरिष्ठ न्यायाधीशो ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिये एक कानून होना चाहिए लेकिन गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत प्रदान की गई आतंकवादी गतिविधि की एक अस्पष्ट परिभाषा को समाप्त किया जाना आवश्यक है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए के अनुसार, जब कोई व्यक्ति बोले गए या लिखित शब्दों, संकेतों या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा या किसी और तरह से घृणा या अवमानना या उत्तेजित करने का प्रयास करता है या भारत में क़ानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति असंतोष को भड़काने का प्रयास करता है तो वह राजद्रोह का आरोपी है। राजद्रोह एक ग़ैर–जमानती अपराध है। इसमें सज़ा तीन साल से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माना है।

सर्वोच्च न्यायलय ने स्पष्ट किया कि यह नीति सरल है कि क्या शक्तिशील संप्रभु भारतीय गणराज्य जनता और मीडिया की आलोचना के प्रति इतना संवेदनशील है कि

शेष पेज–2 पर

शेष पेज–1

एक औपनिवेशक और दमनकारी कानून का इस्तेमाल जारी रखा जायें। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब प्रजातंत्र तरीके से चुनी गई सरकारो को खराब स्वास्थ्य, नियम मनोबल और बेरोजगारी से कमजोर समाज द्वारा जबावदेह ठहराया जाना बंद कर दिया जाता है तो नीचता और अकर्मण्यता का खतरा उत्पन्न हो जाता है। अतः प्रजातंत्र में देश द्रोह जैसे कानून का अस्तित्व जनहित के लिये खतरा उत्पन्न करता है।

लोकतंत्र में जनता के मौलिक अधिकारों के लिये मापदण्ड काफी उच्च है और इनकी उलंघना पर सरकार जबावदेही से बच नही सकती। एक व्यक्ति के पास दूसरो के बीच स्वतंत्रता, गोपनीयता, भाषण तथा अभिव्यक्ति के लिए मौलिक अधिकार है और सरकार का बंद दरवाजो व निजी संरक्षणों में प्रवेश करना निदनीय है, जिसका असर यह होता है कि किसी व्यक्ति को सोचने, बोलने या यहां तक कि अपने घरो में एकांत में रहने की आजादी नहीं होती है। रचनात्मक आलोचना का सामना करने में सक्षम होने, लोगों की समस्याओं संबंधी प्रश्न सुनने और इनको सही ढंग से निपटने की उपेक्षा सरकार केवल असन्तोष और अल्पसंख्यक को चुप कराना चाहती है। डाटा संरक्षण बिल भी जो अभी संसद द्वारा पारित किया जाना है निगरानी के संबंध में कोई सुरक्षा प्रदान नही करता है। सरकार की अपार दर्शक निगरानी नीति कोई कारगार और वास्तविक संरक्षण देने में सक्षम नहीं है और इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

फोनटेपिंग पूर्णतः राजनैतिक दलो व प्रभावशालीओं का एक दूसरे को नीचा दिखाने का अपना तंत्र रहा है वर्ष 1990 में भी स्व० प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व० श्री वी.पी. सिंह सरकार पर उनको व 27 अन्य नेताओं के फोनटेप करने के आरोप लगाये गये थे जिनकी सीबीआई जांच में स्पष्ट किया गया कि त्रासदी पूर्ण कानूनी ढ़ाचे की प्रक्रियात्मक खामियों के कारण सत्ता का दुरूपयोग किया गया और यह स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा व नागरिक स्वतंत्रता के लिये कानून प्रवर्तन तथा खुफिया सेवाओं को मजबूत व परिभाषित कानूनी आधार के बिना कार्य करने की अनुमति देना अनुचित है। सरकार की शाह पर फोनटेंपिग के पिछले घोटालो की समीक्षा में देखा गया है कि सॉफ्टवेयर खरीदने वाली एंजेंसिया मंहगे उपकरणों व सॉफ्टवेयर बढ़ाकर अपने शस्त्रागार को उन्नत कर रही है जिसमें तत्कालीन नेताओं की मिलीभगत भी पाई गई।

सूचना प्रौद्योगिक अधिनियम 2000 की धारा 43 और 66 द्वारा हैकिंग को एक अपराध घोषित किया गया है, इसलिए यह साबित किया जाना आवश्यक है कि क्या सरकार द्वारा बिना किसी उचित कारण के अपने नागरिको के फोन हैक करने के लिये पैगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नागरिको को अन्याय के विरूद्ध जबावी हमला करने, अमीरो और ताकतवरो के खिलाफ विद्रोह करने की क्षमता को कभी भी कम करके नहीं आंका जाना चाहिए, लेकिन क्रूर तथ्य यह भी है कि सामाजिक आक्रोश नागरिको की सार्वजनिक मामलो में सक्रिय रूचि लेने, शक्तिशाली को नियत्रिंत करने व विनम्र करने की क्षमता को कमजोर करता है। नागरिको को बुनियादी सार्वजनिक स्वतंत्रता पर राज्य तथा कार्पोरेट प्रतिबंध लगाने के लिये मजबूर किया जाता है। उन्हें मोटी रकम देने, निगरानी, लाठीचार्ज, निवारक हिरासत और पुलिस हत्याओं के आगे नतमस्तक होने को मजबूर होना पड़ता है।

नेशनल क्राइम रिकाड्र्स ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, भारत में साल 2015 में 30, 2016 में 35, 2017 में 51, 2018 में 70 और 2019 में 93 राजद्रोह के मामले दर्ज हुए। 2019 में देश में जो 93 राजद्रोह के मामले दर्ज हुए। 96 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन 96 लोगों में से 76 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई। 29 को बरी कर दिया गया। इन सभी आरोपियों में केवल दो को अदालत ने दोषी ठहराया। 2018 में जिन 56 लोगों को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उनमें 46 के खिलाफ चार्जशीट दायर हुई। उनमें से केवल 2 लोगों को ही अदालत ने दोषी माना। इसी तरह 2017 में जिन 228 लोगों को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया उनमें से 160 के खिलाफ चार्जशीट दायर हुई और उनमे से भी

मात्र 4 लोगों को ही अदालत ने दोषी माना। 2016 में 48 लोगों को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उनमें से 26 के खिलाफ चार्जशीट दायर हुई, केवल 01 आरोपी को ही अदालत ने दोषी माना। वहीं 2015 में इस क़ानून के तहत 73 गिरफ्तारियां हुईं, 13 के खिलाफ चार्जशीट दायर हुई। इनमें से एक को भी अदालत में दोषी नहीं साबित किया जा सका। इसी तरह 2014 में 58 लोगों को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया केवल 16 के खिलाफ़ चार्जशीट दायर हुई। उनमें से केवल 1 को ही अदालत ने दोषी माना। इससे सिद्ध होता है कि देशद्रोह के मामले बिना किसी तर्क संगत विचार के दबाव में व सरकार/प्रशासन की शह पर विरोधी की आवाज को दबाने के लिए दर्ज किये जाते है। एनसीआरबी के 2019 के ही आंकड़े देखें तो पता चलता है कि उस साल देशभर में राजद्रोह के जितने केस दर्ज किए गए थे, उनमें से ज्यादातर बीजेपी शासित या एनडीए शासित राज्यों में दर्ज किए गए थे। सबसे ज्यादा 22 केस कर्नाटक में दर्ज हुए थे। वहां बीजेपी की सरकार है, दूसरे नंबर पर असम है, जहां 17 केस दर्ज हुए थे। तीसरे नंबर पर जम्मू–कश्मीर रहा, जहां 11 मामले दर्ज हुए थे। यहां 2019 में राष्ट्रपति शासन लगा था और केंद्र की सरकार है।

इस संबंध में विधि आयोग का परामर्श पत्र का जिक्र भी बेहद जरूरी है। भारतीय विधि आयोग या लॉ कमीशन ने 2018 में राजद्रोह के ऊपर एक परामर्श पत्र जारी किया था। राजद्रोह के कानून को लेकर आगे क्या रास्ता निर्धारित किया जाना चाहिए इस पर लॉ कमीशन ने कहा कि लोकतंत्र में एक ही गीत की किताब से गाना देशभक्ति का पैमाना नहीं है और लोगों को अपने तरीके से अपने देश के प्रति अपना स्नेह दिखाने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए और ऐसा करने के लिए सरकार की नीति में ख़ामियों की ओर इशारा करते हुए कोई रचनात्मक आलोचना या बहस की जा सकती है। लॉ कमीशन ने कहा है कि इस तरह के विचारों में प्रयुक्त अभिव्यक्ति कुछ के लिए कठोर और अप्रिय हो सकती है लेकिन ऐसी बातों को राजद्रोह नहीं कहा जा सकता है। लॉ कमीशन ने यह भी कहा, धारा 124ए केवल उन मामलों में लागू की जानी चाहिए जहां किसी भी कार्य के पीछे की मंशा सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने या हिंसा और अवैध साधनों से सरकार को उखाड़ फैंकने की है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी एक मास में तीन बार जासूसी कानून के अस्तित्व व दुरूपयोग पर सवाल उठा चुका है। कानून की धारा 124ए के विरूद्ध सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना ने भी टिप्पणी की है कि इस औपनिवेशक युग के विरासत कानून के तहत पुलिस को आरोपी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार करने व आजीवन कारावास तक का प्रावधान है जो कि ब्रिटिश प्रशासन द्वारा दमनकारी नीति के तहत लागू किया गया था, जिसमें अब परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक संशोधन जरूरी है। इस प्रकार के दमनकारी कानून कदापि लोकतंत्र के हित में नहीं है और इस से जनता द्वारा चुनी गई सरकार का भी पतन होता रहा है।

यूके ने दस साल पहले देशद्रोह कानूनों को समाप्त कर दिया था। साथ ही ब्रिटेन के तहत रहे उपनिवेशों, जो अब आजाद हो चुके हैं, वहां भी ये कानून खत्म किए जा चुके हैं। इसलिए राष्ट्र में नागरिको के मौलिक अधिकरों के सम्मान, स्वाभिमान, सदभावना बनाये रखने व राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु बिट्रिश शासन द्वारा अपने निजी स्वार्थों हेतु बनाये गये जासूसी, राजद्रोह कानून को समाप्त किया जाना समय की जरूरत है। इसके साथ ही राजनैतिक दलो व प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा फोनटेपिंग व जासूसी की तुच्छ नीति को त्याग कर राष्ट्रहित व कल्याण में रूचि बढ़ानी होगी। स्वोंच्च न्यायालय द्वारा भी सरकार को पेगासस इंडिया व एन.एस.ओ. अनुबन्धों जैसे संकीर्ण मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए दिशा–निर्देश दिये जाने आवश्यक है।

डॉ0 महेंद्र सिंह मलिक
आई.पी.एस. (सेवा निवृत)
पूर्व पुलिस महा निदेशक हरियाणा,
प्रधान अखिल भारतीय शहीद सम्मान संघर्ष समिति एवं
जाट सभा, चंडीगढ व पंचकुला

विपक्ष की एकजुटता कोई रंग दिखायेगी ?

– कमलेश भारतीय

आखिर विपक्ष ने भाजपा शासित केंद्र सरकार के खिलाफ एकजुट होना शुरू कर दिया। पहले संसद के मानसून सत्र के दौरान एकजुटता दिखाई और जनता से जुड़े मुद्दे उठाने की संयुक्त रूप से कोशिश की। जहां तक कि सत्र के दौरान ट्रैक्टर यात्रा राहुल ने निकाली और बाद में विपक्ष ने साइकिल यात्रा भी निकाली पर केंद्र सरकार टस से मस नहीं हुई। किसानों के बीच भी गये। इतने पर भी केंद्र सरकार ने न किसान आंदोलन और न ही कृषि कानूनों पर कोई बात होने नहीं दी। इसी प्रकार पेगासस का मुद्दा भी उठने नहीं दिया और महंगाई की बात नहीं होने दी। इस तरह यह मानसून सत्र बिना किसी उपलब्धि के बीत गया। दूसरी ओर हमारे प्रधानमंत्री इस बात पर अफसोस जताते रहे कि विपक्ष ने संसद चलने नहीं दी और करोड़ों रुपये बर्बाद हो गये। जब देश की सर्वोच्च पंचायत ही इस तरह ठप्प होकर रह जाये तो फिर कहां उठाये जायेंगे जनता के मुद्दे? जनता की तकलीफ कहां बयान की जायेगी ? कहां सुनाया जायेगा इसका दुख दर्द?

आखिर इसका यही एक उपाय है कि कम से कम विपक्ष एकजुट होकर सरकार को टक्कर दे, हर मोर्चे पर। यही आह्वान किया है कांग्रेस हाईकमान सोनिया गांधी ने ऑनलाईन बैठक करके विपक्षी नेताओं के साथ। शुरूआत अच्छी है। हालांकि समाजवादी पार्टी के जुड़ने की संभावना जताई जा रही थी लेकिन नहीं आई ऑनलाईन। विधानसभा चुनाव भी यूपी में आने वाले हैं। मायावती से किसी को कोई उम्मीद है भी नहीं। ममता बनर्जी और शरद पवार दो ऐसे नेता हैं जिन्होंने महाराष्ट्र व पश्चिमी बंगाल में भाजपा को विपक्ष की एक जुटता से पटकनी देने में सफलता प्राप्त की यानी भाजपा के लोट्स ऑपरेशन का मुंहतोड़ जवाब दिया। कहां आधी रात को राज्यपाल को जगा कर देवेंद्र फडणबीस को शपथ दिला दी थी और कहां दिन के उजाले में भागते हुए इस्तीफा देने जाना पड़ा। यह हुई न चाणक्य नीति। जब आधे प्रतिशत वोट से कांग्रेस के अहमद पटेल राज्यसभा चुनाव जीते थे तब कहां गयी थी चाणक्य नीति ? अरे यार चाणक्य को क्यों बदनाम करने में लगे हो ? देखो ओ दीवानो चाणक्य को बदनाम न करो।

ममता बनर्जी ने पश्चिमी बंगाल में कितना संघर्ष किया अकेली अपने दम पर ? सारी केंद्रीय सरकार वहां डेरा लगाये बैठी रही और सारी एजेंसियां काम पर लगी रहीं लेकिन ममता बनर्जी जीत कर निकली।

ऐसी एक जुटता की जरूरत महसूस हो रही है। सोनिया गांधी ने उम्मीद जताई है कि विपक्ष आगे भी एकजुट रहेगा और पेगासस, कृषि कानूनों और बढ़ती महंगाई पर सरकार को घेरेगा। इसके बावजूद सोनिया गांधी को कांग्रेस की एक जुटता पर भी ध्यान देना होगा यानी एक जुटता की शुरूआत घर से करनी होगी।

सीमा विवाद का स्थायी हल जरूरी

– डॉ. एल. एस. यादव

असम और मिजोरम के मध्य सीमा को लेकर चल रहा विवाद 26 जुलाई को अचानक उग्र होकर खूनी खेल में बदल गया। इस खूनी खेल में दोनों राज्यों की पुलिस और नागरिकों के बीच करीब 40 मिनट तक लाठी–डंडे चले और गोलीबारी भी हुई। इस गोलीबारी में असम पुलिस के छह जवानों की मौत हो गई तथा एसपी सहित लगभग 50 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस घटना के बाद दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एक–दूसरे पर आरोप लगाए तथा एक–दूसरे के पुलिस बल को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया। इतना किए जाने के बाद दोनों मुख्यमंत्रियों ने केंद्र सरकार से अविलंब हस्तक्षेप का अनुरोध किया। घटना के संबंध में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने ट्वीट करके जानकारी दी थी कि मुझे यह बताते हुए अत्यन्त दुख हो रहा है कि असम–मिजोरम सीमा पर असम राज्य की संवैधानिक सीमा की रक्षा करते हुए असम पुलिस के छह जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, जबकि मिजोरम के गृहमंत्री लाल चमलियाना ने बताया कि असम के 200 से अधिक पुलिस बल के जवानों ने आगजनी व हमले किए जिसके जवाब में मिजोरम पुलिस ने कार्रवाई की। मिजोरम के आईजी का कहना है कि विवादित इलाके में ऐटलांग नदी के पास लगभग आठ झोपड़ियों में 25 जुलाई की रात साढ़े ग्यारह बजे आग लगा दी गई थी जिससे तनाव अधिक बढ़ गया था। वहीं असम की

जनता का कहना है कि 26 जुलाई को मिजोरम की तरफ से बड़ी संख्या में लोग लाठी, डंडे, लोहे की छड़ें तथा राइफलें लेकर आए और ललितपुर में पुलिस वालों पर हमला कर दिया और अनेक वाहनों को तोड़ दिया जिनमें जिला उपायुक्त आफिस के भी वाहन थे। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा तथा मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथांगा से अलग–अलग बात करके अन्तर्राज्यीय सीमा पर शान्ति स्थापित करने को कहा। साथ में यह भी कहा कि विवाद को आपसी सहमति से हल करें। दोनों मुख्यमंत्रियों ने शान्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने का आश्वासन दिया।

गृह मंत्री अमित शाह के हस्तक्षेप के बाद दोनों राज्यों की सीमा पर तनाव में कुछ कमी आई है। कहा जा रहा है कि दोनों राज्यों के पुलिस बल के जवान लौट आए हैं और सीमा पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों की तैनाती कर दी गई है। दरअसल असम और मिजोरम की सीमा का विवाद काफी पुराना मसला है। अब तक इसको सुलझाने के लिए अनेक बार प्रयास किए गए, लेकिन सारे विफल ही रहे। इस सीमा विवाद की तह में सीमांकन को लेकर वर्ष 1875 और 1933 में आए दो अलग नोटिफिकेशन हैं। दोनों नोटिफिकेशन में से मिजोरम का मानना है कि दोनों राज्यों के मध्य सीमांकन 1875 के नोटिफिकेशन के आधार पर होना चाहिए। मिजो नेता तर्क के आधार पर सन 1933 के नोटिफिकेशन के सीमांकन को खारिज करते हैं। उनका कहना है कि कि 1933 के नोटिफिकेशन के समय या उससे पहले मिजो समाज से कोई वार्ता ही नहीं की गई। वहीं दूसरी तरफ असम सरकार 1933 के नोटिफिकेशन के सीमांकन को मानती है। गौरतलब बात यह भी है कि मिजोरम के तीन जिले आइजोल, कोलासिब और मामित की 164.6 किलोमीटर की सीमा असम के कछार, करीमगंज और हैलाकांडी जिलों से लगती है। मिजोरम का आरोप है कि असम ने उसके कोलासिब जिले के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया है। वहीं असम के लोगों का कहना है कि मिजोरम ने उसके हैलाकांडी जिले में दस किलोमीटर अंदर तक निर्माण कार्य कर लिया है और केले आदि की खेती करते हैं। असम तथा मिजारम का सीमा विवाद ब्रिटिश शासन के समय से चला आ रहा है।

विदित हो कि उस समय मिजोरम को असम का लुशाई हिल्स कहा जाता था। सन् 1950 में असम राज्य बन गया। उस समय असम में आज के अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नगालैंड आते थे। बाद में असम से ये राज्य के रूप में अलग हो गए, लेकिन कुछ बातों को लेकर इनके सीमा विवाद जारी रहे। नार्थ ईस्टर्न एरिया री–आर्गनाइजेशन एक्ट 1971 के तहत असम से अलग कर त्रिपुरा, मणिपुर व मेघालय को राज्यों का दर्जा प्रदान कर दिया गया। वर्ष 1987 में मिजो पीस रिकार्ड के तहत मिजोरम को भी अलग राज्य बना दिया गया। यह निर्णय मिजो आदिवासियों और केंद्र सरकार के बीच हुए समझौते के तहत था और इसका आधार 1933 का नोटिफिकेशन था लेकिन मिजो आदिवासियों का कहना है कि उन्होंने 1875 वाले नोटिफिकेशन को स्वीकार किया है। इसके बाद से सीमा पर विवाद लगातार बढ़ता ही गया। 30 जून 1986 को मिजोरम के नेताओं ने मिजो पीस रिकॉर्ड पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें ही सीमा तय की गई है। पर नोटिफिकेशन 1875 या 1933 का माने इस पर विवाद अभी भी बना हुआ है। ताजा हिंसा से पहले गत वर्ष अक्टूबर माह में भी दो बार इन राज्यों की सीमा पर आगजनी तथा हिंसा की घटनाएं हुई थीं। 9 अक्टूबर 2020 को मिजोरम के दो लोगों को आग लगाई गई थी। इसके अलावा कुछ झोपड़ियों व सुपारी के पौधों को भी आग के हवाले कर दिया गया था। इसके कुछ दिन बाद कछार के लागों ने मिजोरम की पुलिस और वहां के लोगों पर पत्थरबाजी की थी।

यह भी उल्लेखनीय है कि असम और मिजोरम की सीमा आज भी काल्पनिक है और नदियों, पहाड़ों, घाटियों एवं जंगलों के कारण बदलती रहती है। पिछले कुछ वर्षों में यह समस्या और बढ़ गई है। इसके अलावा असम के सीमावर्ती इलाकों के अधिकांश निवासी बंगाली या मुख्य रूप से मुस्लिम हैं। मिजोरम के लोग उन्हें शक की नजर से देखते हैं। उनका कहना है कि बिना कागज वाले ये माइग्रेंट्स उनके राज्य में आकर उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि वर्तमान में हमारा देश बाहरी सुरक्षा चुनौतियों से लड़ रहा है। ऐसे में यदि उसे आन्तरिक सुरक्षा चुनौतियों से जूझना पड़ा तो यह एक नई समस्या होगी, इसलिए देश को ऐसी समस्याओं का स्थायी समाधान खोजना होगा। असम–मिजोरम सीमा समस्या को सुलझाने के लिए अब तक कई दौर की बातचीत हो चुकी है। सन् 1995 में इस इलाके में एक

निर्जन पट्टी बनाने का सुझाव सखा गया था तब भी मिजोरम के लोगों ने मानने से इनकार कर दिया था। फिलहाल केंद्र, असम व मिजोरम तीनों जगहों पर भाजपा की सरकारें हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि उचित तालमेल बिठाकर समस्या का हल निकाल लिया जाएगा, अन्यथा यह समस्या और विकराल रूप धारण कर लेगी।

देश में बढ़ रही स्वास्थ्य असमानता

– सतीश सिंह

ऑक्सफैम इंडिया ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में व्याप्त असमानता को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके निहितार्थ चौंकाने वाले हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में स्वास्थ्य सेवा का लाभ लेने के मामले में सामान्य वर्ग के लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवारों की तुलना में बेहतर स्थिति में हैं। गरीबों की तुलना में अमीर बेहतर स्वास्थ्य सेवा का लाभ ले रहे हैं। पुरुष और महिला के बीच भले ही समानता लाने की बात एक अरसे की जा रही है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने के मामले में महिलाओं के मुकाबले पुरुष आज भी बहुत आगे हैं। क्षेत्रों के आधार पर भी देश में स्वास्थ्य सेवा का असमान वितरण है। ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में शहरी आबादी स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर लाभ ले रही है। कोरोना के बाद स्वास्थ्य असमानता और बढ़ी है।

ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि स्वास्थ्य बीमा के अभाव में कमजोर एवं वंचित तबके के लोगों की स्वास्थ्य स्थिति ज्यादा खराब है। राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा दी जाने वाली बीमा योजनाओं का दायरा देश में बहुत ही सीमित है। सूचना के अधिकार के तहत मिले आंकड़ों से पता चलता है कि केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत कोरोना वायरस से केवल 19 संक्रमितों का इलाज किया गया है। समय पर इलाज नहीं होने के कारण गरीब लोगों की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो जाती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का अभाव है। इसका एक कारण बुनियादी सुविधाओं का अभाव होना भी है। अभी भी देश के सभी गांव सड़क से नहीं जुड़ सके हैं। बिजली व पानी की सुविधाओं से भी ग्रामवासी वंचित हैं। महामारी की वजह से भी आर्थिक व सामाजिक रूप से कमजोर तबके के लोगों की हाल के महीनों में ज्यादा मौत हुई है साथ ही साथ सामाजिक एवं आर्थिक स्तर पर भी लोगों के बीच असमानताओं में वृद्धि हुई है।

ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सामान्य वर्ग के 65.7 प्रतिशत परिवारों के पास शौचालय की सुविधाएं बीते महीनों में बेहतर हुई हैं। अब उन्हें शौचालय किसी के साथ साझा नहीं करना पड़ता है, जबकि केवल 25.9 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति परिवारों के पास ऐसी सुविधा है। इसके अलावा, सामान्य श्रेणी के घरों की तुलना में अनुसूचित जाति के घरों में 12.6 प्रतिशत से अधिक बच्चों की शारीरिक वृद्धि नहीं हुई है। शीर्ष स्तर पर मौजूद 20 प्रतिशत आबादी की तुलना में निचले स्तर पर मौजूद 20 प्रतिशत लोगों के घरों में 5 वर्ष की उम्र से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या तीन गुना अधिक है। रिपोर्ट में यह भी पाया गया है कि एकीकृत बाल विकास सेवा के तहत अस्पतालों में खाद्य सामग्री की उपलब्धता भी दो समुदायों में असमानता है। इतना ही नहीं बच्चों को किए जाने वाले टीकाकरण में भी 8 प्रतिशत का अंतर पाया गया है।

कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा की खामियों को बड़े स्तर पर उजागर किया है। वर्ष 2017 के नेशनल हेल्थ प्रोफाइल के अनुसार प्रत्येक 10,189 लोगों पर महज एक ही सरकारी एलोपैथिक डॉक्टर है और प्रत्येक 90,343 की आबादी पर एक सरकारी अस्पताल है। इतना ही नहीं भारत में प्रत्येक 1000 की आबादी पर अस्पताल में बेडों की संख्या 0.5 है, जो भारत के मुक़ाबले कम विकसित देशों जैसे बांग्लादेश 0.87, केन्या 1.4 और चिली 2.1 से भी कम है। ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट से पता चलता है कि बीते सालों में सरकारी स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अपेक्षित प्रयास नहीं किए गए हैं। वर्ष 2010 और 2020 के बीच प्रत्येक 10,000 की आबादी पर अस्पताल में बेडों की संख्या 9 से घटकर 5 हो गई है। अस्पतालों में बेडों की उपलब्धता के लिहाज से 167 देशों में भारत 155वें स्थान पर है और 10,000 की आबादी पर 5 बेड और 8.6 डॉक्टर ही उपलब्ध हैं। ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जहां देश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी रहती है के लिए केवल 40 प्रतिशत बेड ही देश में उपलब्ध हैं। कमजोर स्वास्थ्य अवसंरचना के कारण

कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमित 2 मरीजों में से एक मरीज ग्रामीण क्षेत्र का था। हालांकि, विगत कुछ दशकों में भारत के समग्र स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार आया है, लेकिन उसे पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है। बेहतर स्वास्थ्य प्रणाली ने जीवन प्रत्याशा बढ़ाने में मदद की है, लेकिन लिंग, जाति और आय के स्तर में असमानता होने के कारण इसका लाभ सीमित लोगों को ही मिल सका है।

रिपोर्ट का यह भी कहना है कि अमीर, गरीब की तुलना में औसतन 7 साल 6 महीने अधिक जीते हैं, वहीं सामान्य वर्ग की महिला किसी दलित वर्ग की महिला की तुलना में औसतन 15 साल अधिक जीती है। शिशु मृत्यु दर में भी बीते सालों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। फिर भी, सामान्य वर्ग की तुलना में दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्गों में शिशु मृत्यु दर ज्यादा है। ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्र पर किए जा रहे खर्च के कारण हर साल 6 करोड़ लोग और गरीब हो जाते हैं। हालांकि, भारत स्वास्थ्य खर्च के मामले में विश्व में 154वें स्थान पर है, जोकि नीचे से पांचवां है। वित्त वर्ष 2021–22 के लिए पेश किए गए केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 76,901 करोड़ रुपये का कुल आवंटन किया है, जो वित्त वर्ष 2020–21 के 85,250 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान की तुलना में 9.8 प्रतिशत कम है। ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि स्वास्थ्य पर अधिक खर्च करने वाले राज्यों में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या कम रही है, जबकि स्वास्थ्य पर अधिक खर्च करने वाले राज्यों में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या दूसरे राज्यों से बेहतर रही है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में स्वास्थ्य सेवा की स्थिति बहुत ही ज्यादा संतोषजनक नहीं है, जिसे ठीक करने के लिए सरकार को प्राथमिकता के आधार पर स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करना होगा। वैसे, भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के असमान वितरण का एक बड़ा कारण देश की सामाजिक और आर्थिक संरचना भी है। इसी वजह से देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, ग्रामीण आबादी आदि की स्थिति अन्य मामलों में भी खराब है। इसको दुरुस्त बनाने के लिए सरकार को व्यापक प्रयास करने होंगे। देश के समावेशी विकास के लिए प्रयास करना होगा। साथ में, समाज के सभी स्तरों पर सभी को सामाजिक कुरीतियों और समाज में व्याप्त असमानता को दूर करने के लिए लोगों को जागरूक बनाना होगा।

Discovery of Water and Limestone in Narnaul

Ramniwas Malik

Narnaul is rightly called the capital of Mahendergarh district of Haryana because all the district level offices are located there only. The upper alluvial strata of soil beyond Narnaul town in South, South-east and South-west directions contains rocky formations under a depth varying from 40 to 70 feet. The farmers could not drill tube wells in the alluvial part because of very poor yield from the water bearing strata or aquifer. Till 1985, drilling rigs had not been developed in the country that could puncture a rocky strata.

Fortunately, in 1981, UNICEF donated a rock drilling rig to the Central Ground Water Board Delhi to drill exploratory tube wells in rocky strata and use these for supplying drinking water to the nearby villages. Agriculture Ministry in the Central government was under Rao Birender Singh Ji in 1982. He directed the Board to shift the DTH rig to Narnaul to drill exploratory tube wells to find out if sustainable water bearing strata was available in the rocky formations. The first tube well was drilled at village Gujarwas- Katkei on the Narnaul-Rewari road. To the astonishment of everybody, the tube well yielded an unexpected flow of 17000 gallons per hour of potable water. Very soon, the tube well was used for supplying drinking water to a group of nearby villages. Encouraged by this discovery, more exploratory tube wells were drilled in the rocky strata and these were used for supplying water to a large number of villages. The tube well drilled at village Nangal Kalia delivered the highest discharge of 25000 gallons per hour.

Consequently, villagers of Nangal Chowdhari block were very happy at this unique and unexpected discovery. They even started planning to install similar tube wells for the purpose of irrigation of their agricultural lands. But they had to wait for few years till a rock drilling machine came in the open market.

Incidentally, a second discovery was also in the offing. The presence of water in the rocky strata meant that the rock was made of limestone layers. The Geo-hydrologists of Central Ground Water Board confirmed from the drilling data that a vast and deep layer of limestone existed 200ft below the ground level in and around Nangal Chowdhari block and some company might come one day to mine the

limestone for cement manufacturing. That premonition came true after a decade. A cement manufacturing company applied to Industries Department Haryana in 1992 to seek environmental clearance to set up a cement manufacturing plant at village Garhi Harsaru near Gurgaon. The company planned to mine the limestone from a place near Nangal Chowdhari and transport the same to the plant at village Garhi Harsaru. As per guidelines of the Environment Ministry, GOI, a cement plant could not be set up within 20kms radius of a bird sanctuary. The site of the manufacturing plant was less than 20kms from the Sultanpur bird sanctuary. The members of the Environment Clearance Committee requested the company to locate the plant 20kms away to enable the Committee to process the case for granting the environment clearance. But the company was adamant to have the plant at the same site because of proximity to railway station at Garhi Harsaru on the main Delhi-Jaipur-Ahamdabad railway line. This Is how a very good project was abandoned. The Industries Department did not bother to scout some other company to set up a cement manufacturing plant near Narnaul and bring prosperity to the industrially backward region. This effort can be made even now.

गांव बनाम शहर

– सूरजभान दहिया

130 करोड़ आबादी का हिन्दुस्तान जहां 83 करोड़ लोग गांववासी तथा 47 करोड़ शहरी हैं। समसामयिक भारतीय चर्चाओं और विवादों का एक बड़ा भाग गांव और उसकी समस्याओं पर केन्द्रित है। इस प्रक्रिया में हम 'गांव' और 'शहर' को दो विपरीत ध्रुव्रों की तरह देखते हैं और उनकी रूढिबद्ध छवियों के आधार पर उनकी समस्याओं को प्रस्तुत करते हैं, इन छवियों में निहित विरूपण और विकृतियां समस्याओं का अति सरलीकरण करती है और उनके आयामों की सच्ची समझ को धूमिल करती है।

विवाद के मुद्दे हैं – नगरो द्वारा ग्राम का शोषण, राष्ट्रीय निवेश का नगरो पर विषम अनुपाती व्यय, कृषि की उपेक्षा और उद्योगो का बढ़ावा, राजनीतिक प्रक्रियाओं में नगरो का वर्चस्व आदि, काफी हद तक इस तथ्य में सच्चाई हैं। गांव और शहर का आमना–सामना और उनकी प्रतिद्वंद्विता उतनी सरल और स्पष्ट नहीं हैं जितनी वह आज की परिचर्चाओं में दिखाई पड़ती है। सच तो यह है कि यदि एक ओर गांव और शहर की दूरी घट रही है तो दूसरी ओर वह बढ़ भी रही है। उनके आपसी संबंधों में नये उलझाव आ रहे हैं जिनके कारण भारत 'इंडिया' बनाम 'ग्राम' के रूप में विभाजित हो गया है।

'गांव' ओर 'शहर' में अन्तर क्या है? अनेक समाज विज्ञानियों ने इस प्रश्न का उत्तर देने का यत्न किया हैं, किन्तु उनके स्पष्टीकरण और व्याख्याएं अपर्याप्त और भ्रामक हैं। सबसे अधिक प्रचलित व्याख्या वास स्थान की जनसंख्या और उसके व्यवसाय के मुख्यता को आधार मानती है अर्थात किसानी से जुड़े गांववासी हैं। उस भारतीय समाज की इकाई का जिसमें सादाजीवन और उच्च्च विचार का आर्दश चरित्रार्थ हो और जिसमें हर पेट के लिये अन्न और हर हाथ के लिये काम उपलब्ध हो वह गांववासी होता है। गांधी ने कहा था, "मैं कहूंगा कि यदि गांव नष्ट हुआ तो भारत नष्ट हो जायेगा। वह भारत नहीं रहेगा, संसार के लिये उसका उद्देश्य, मिशन लुप्त हो जायेगा" गाहे–बगाहे देश गांधी जी की इस दृष्टि का स्मरण कर लेता है। कम से कम सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय प्रसार सेवा की पृष्टभूमि में उनके ये विचार ही थे। कवियो और लेखकों ने भी गांवों की रोमांटिक छवि प्रचारित की, आज से सत्तरसाल पहले स्कूल में हमें एक कविता पढ़ाई जाती थी :–

'अहा, ग्राम्य जीवन भी क्या है
क्यों न इसे सबका मन चाहें!

इन पक्तियों का आज के भारत में कोई मतलब नहीं – यहां अब इंडिया की मानसिकता हावी हो गई है।

इंडिया की मानसिकता का वर्चस्व हमारे संविधान से शुरू होता है। भारतीय संविधान के प्रारूप ने गांव को छोड़कर व्यक्ति को अपनी इकाई बनाया है। जब धीरे–धीरे गांव वालो को संविधान के मूल ढ़ांचे की समझ आने लगी तो वे भारतीय राज्य में गांव की केन्द्रीयता पर बल दे रहे हैं और शहर की श्रेष्टता के सामने झुकने के लिये अब तैयार नहीं हैं। चार्ल्स मेंटकॉफ ने भारतीय गांवों से प्रभावित होकर उन्हें 'स्वयंपूर्ण लघु गणतंत्रों के रूप में उल्लेखित किया था। जो प्रायः समयहीन और परिवर्तनहीन थे युद्धों से हारजीत और राजवंशों के उत्थान–पतन से अप्रभावित! जब से आजादी के बाद भारत गणतंत्र बना तब से लघु गणतंत्र गांवों का पतन होना शुरू हो गया। आज हालात ये हो गये हैं कि खेती से जुड़े कारिंदे – बढ़ई, लुहार, कुम्हार, मोची आदि सभी गांव

छोड़कर शहरों की पगडंडी पर डेरा डाले बैठे हैं, सिर्फ किसान गांव में रेंगता दिखाई दे रहा है क्योंकि जो नीतियां स्वतंत्र भारत में अपनाई जा रही हैं वे कृषि को बरबाद करके गांवों को प्राचीन सभ्यता के अवशेषों में परिवर्तित किया जा रहा है। यह ग्रामीण परिवेश की भयावह स्थिति है। भूले नहीं – 'असली भारत गांव में बसता है'

'इंडिया' बनाम 'भारत' खोदकर निकाला गया विषय नहीं हैं। यह राजनैतिक लड़ाई हैं जिसे हमारे रहनुभाओं ने पैदा किया है। यह आर्थिक विषमताओं से जुड़ा संघर्ष है। ग्रामीण समस्याओं को दूर करने की जिम्मेदारी सबकी है। राजनीतिक सोच से गांवों की उपेक्षा तथा उन्हें अलग दृष्टि से देखना समाधान नहीं होता। यदि गांवों में भी वे सुविधाएं मिलेगी, जो शहरों में हैं, तो संघर्ष ही न होगा। विदेशों जैसा है कि गांव से लोग शहरो में जाते हैं लेकिन वापस लौट भी आते हैं क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी सुविधाएं उन्हें अपने गांवों में मिल जाती हैं। हमारा राजनीतिक नेतृत्व लाल बहादुर शास्त्री तथा अब्दुल कलाम जैसा परिपक्व होना चाहिए जिनमें गांवों की समस्याओं को सुलझाने की इच्छा शक्ति आवश्यक हो। राजनीतिक चाल से कोई समाधान नहीं होता, यदि समाधान नहीं हुआ तो असंतुलन बढ़ता जायेगा। शास्त्री जी के उद्घोष 'जय जवान जय किसान' को जनता ने अपने मन और मस्तिक में समाहित कर लिया है। उसी प्रकार जन के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के मिशन प्यूरा (PUARA-Providing Urban Amenities in Rural Areas) को भी हमें अपने दिल और दिमाग में बैठाकर सकंल्प लेना होगा कि हमारे ग्राम आधुनिकता से वंचित न रहे।

द्रोपदी की पुकार

दुशासन बलपूर्वक द्रोपदी को केस पकड़ कर घसीटता हुआ राजसभा में ले जा रहा था। द्रोपदी की करुण चीत्कार सब सुन रहे थे, लेकिन किसी के अंदर इतना साहस नहीं था कि वह दुशासन के इस दुष्ट कृत्य को करने से रोक सकता।

जब वह सभा में पहुंच गया तब द्रोपदी ने अपने पांचों पतियों को देखा। सभी सर झुकाए अपने अपने आसनों पर बैठे हुए थे। सामने चौपड़ बिछी हुई थी और पाशें बिखरे पड़े हुए थे। द्रोपदी ने एक–एक करके अपने पांचों पतियों को पुकारा। लेकिन जो जीते जा चुके हों उनके अंदर इतना सामर्थ्य कहां रह जाता है। इसके बाद द्रोपदी ने पितामह भीष्म की ओर देखा सत्ता की जिम्मेदारी ने उनकी पलके इतनी भारी कर दी थी कि वे उन्हें झुकाए हुए अपने आंसू बहा रहे थे। इसके बाद द्रोपदी ने गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य की ओर देखा। उनमें भी इतना साहस नहीं था कि वे हस्तिनापुर का नमक खाकर, दुर्योधन को दुशासन के इस दुस्साहसिक कृत्य को रुकवाने के लिए कह सकते।

द्रोपदी ने बड़ी आशा भरी नजरों से धृतराष्ट्र की ओर देखा। उसके स्वर में कंपन और व्यथा थी, मैं आपकी कुलवधू और पुत्र वधू हूं। आपकी पुत्री के समान हूँ। मेरे शील की रक्षा करें। लेकिन धृष्टराष्ट्र आंखों से नहीं बुद्धि का भी अंधा था। दिखावे के लिए दुखी होने का अभिनय कर रहा था, परंतु अपने पुत्रों की इस विजय पर उसे हार्दिक खुशी मिल रही थी। मनमुदित था कि बिना रक्तपात किए इंद्रप्रस्थ जैसा राज्य मिलने जा रहा था।

इसके बाद कर्ण बोल उठा, ये सब बिक चुके हैं। सब खरीदे जा चुके हैं इनसे तुम्हारी कोई सहायता नहीं हो पाएगी। और फिर किस शील की बात कर रही हो तुम। वैसे भी वैश्या का क्या शील? क्या धर्म? क्या सतीत्व? आखिर पांच–पांच पतियों की पत्नी हो।

कर्ण की जिव्हा से निकले विष भरे शब्दों को सुनते ही अर्जुन गुस्से से तमतमा उठा। उसका हाथ गांडीव पर चला गया। लेकिन दुर्योधन ने फटकारते हुए कहा– तुम्हें कोई अधिकार नहीं कि राजा के मित्र को तुम आंख उठाकर भी देखो। चुपचाप अपनी आंखें नीचे करके बैठे रहो। इसके बाद दुशासन भरी सभा में द्रोपदी की साड़ी का आंचल खींचने लगा।

सब ओर से निराश हताश होती हुई द्रोपदी ने अपनी आंखें बंद कर ली और बड़े मार्मिक स्वर में श्रीकृष्ण को याद करने लगी।

उधर द्वारका में भगवान श्री कृष्ण भोजन करने के लिए बैठे ही थे। भोजन का आसन लग चुका था। अभी उन्होंने एक कोर उठाया ही था कि उनके मन मस्तिक को एक आर्त आवाज सुनाई दी। हे श्री कृष्ण मेरे सतीत्व की रक्षा करो। हे माधव मेरे सतित्व की रक्षा करो। उन्होंने ध्यान

लगाया तो देखा कि यह तो उनकी सखी है। जिसका वस्त्र का चीर हरण हो रहा है। वह भी हस्तिनापुर की राजसभा में। द्वारका से हस्तिनापुर काफी दूरी पर है, वहां पहुंचना संभव नहीं। श्री कृष्ण भगवान ने अपने शरीर से अपनी आत्मा को मुक्त किया और राज सभा में जा बैठे।

वहां उन्होंने अपने इंद्रिय जाल से सारी सभा को सम्मोहित कर दिया। इस सम्मोहन का प्रभाव दुशासन पर भी पड़ा उसको लगा और सारी सभा को भी यही लगा कि ना जाने कितना वस्त्र द्रोपदी ने अपनी इस साड़ी में लपेटा हुआ है। दुर्योधन का अनुज खींचते खींचते थक गया। उसे लगा पूरी सभा द्रोपदी की साड़ी के कपड़े से भर जाएगी पर उसका कोई अंत ही नहीं होगा। अंत में वह थक कर निढाल हो गया।

इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने भरी सभा में द्रोपदी के सतीत्व की रक्षा की। अब तो द्रोपदी को क्रोध आ गया। क्रोध में भरकर भरी सभा में उसने घोषणा कर दी – एक भरी सभा में अबला स्त्री के साथ दुराचार हुआ है। उसका यह पूरी सभा साक्षी है। जिसमें महाराज धटराष्ट्र और पितामह भीष्म बैठे हुए हैं। लेकिन इनका कोई फायदा नहीं। इसलिए मैं श्राप देती हूं– इससे पहले कि द्रोपदी कुछ बोल पाती गंधारी कुंती का सहारा लेते हुए राजसभा में पहुंच गई और अपने दामन को आगे लाकर उसने द्रोपदी को श्राप ना देने का आग्रह किया।

भक्त की रक्षा करने के तुरंत बाद, भगवान श्री कृष्ण वापस द्वारका पहुंचे और अपने शरीर में प्रवेश किया। इधर इस बीच में द्वारका में कोहराम मचा हुआ था। खाना खाने से पहले श्री कृष्ण भोजन का एक कौर भी मुंह में नहीं डाल सके और उनका शरीर जड़ हो गया था। बलराम ने परिचायक के सहयोग से श्रीकृष्ण को पलंग पे लिटाया। राज महल मैं सभी प्रिय जन विलाप करने लगे उनको समझ में नहीं आ रहा था कि श्रीकृष्ण के शरीर को अचानक क्या हो गया। तभी भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में अपने भक्त के कष्ट का निवारण करके उसी गति से द्वारका पहुंचे और अपने शरीर में प्रवेश किया और एकदम उठ खड़े हुए जैसे कि एक गहरी निद्रा से उठ रहे हो। उनको वापस चेतना में आया देखकर सब लोगों के चेहरों पर हर्ष की लहर दौड़ गई।

श्री कृष्ण जी ने अपने पलंग से उतरते ही भैया बलराम, भाभी रेवती और मां पिताजी के चरण स्पर्श किए। उनको बड़ी हैरानी हुई। इसकी मानसिक अवस्था तो ठीक है? उन्होंने श्रीकृष्ण से पूछा– अरे क्या हो गया तुम्हें? श्रीकृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा मुझे क्षमा करना। यात्रा में जाते हुए मैं आपके चरण स्पर्श नहीं कर सका था तो कम से कम यात्रा पूरी होने के बाद तो आपके चरण स्पर्श कर लूं। उनकी समझ में नहीं आया–यह तो यहीं था। कौन सी यात्रा पर चला गया। श्रीकृष्ण भगवान सिर्फ मंद–मंद मुस्कुराते रहें, क्योंकि इसका रहस्य वही जानते थे। दाऊ ने कहा इसकी लीला यही जाने। पता नहीं क्या–क्या करता रहता है ।

इधर श्राप का शब्द सुनते ही धृतराष्ट्र जो की अंधा होने के साथ–साथ बड़ा कमजोर स्वभाव का था उसने कहा ठहरो पुत्री किसी को श्राप देने से पहले मैं तुम्हारे पांचों पतियों को दासता के ऋण से मुक्त करता हूं, और इंद्रप्रस्थ भी वापस करता हूं। लेकिन अपने शब्दों में और विचारों में भी श्राप का नाम ना लेना। वह बात अलग है कि शकुनी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था।

इस बार फिर से चौपड़ की बिसात बिछाई गई और फिर से खेल शुरू हुआ एक नियम बनाया गया उसमें यह निर्णय लिया गया कि यदि पांडव चौरस की बाजी हार जाते हैं तो उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ेगा। धुर्त प्रेमी कपटी शकुनि की चाल में युधिष्ठिर फिर फंस गए और बाजी हार कर शर्त के अनुसार वन गमन को गए।

वन में एक बार श्री कृष्ण भगवान जी उनसे मिलने आए तो द्रोपदी ने उलहाना भरे शब्दों में श्री कृष्ण से कहा भरी सभा में मेरे साथ दुराचार हो रहा था उस समय भी आप मेरा अपमान होता देखते रहे। आप पहले क्यों नहीं आए ?

श्री कृष्ण भगवान ने कहा – हे सखी यह तुम कैसे कह सकती हो। जैसे ही तुमने मुझे पुकारा मैं तुरंत ही तुम्हारे पास राज सभा में पहुंच गया था। पहले तुम ने मुझे पुकारा ही कब था ?

पहले तो तुम अपने पांचों पतियों पर, फिर पितामह पर, उसके बाद गुरु द्रोण और कृपाचार्य पर, महाराज पर, सब पर भरोसा करके उनको पुकारती रही और जब तुमने मेरे को पुकारा मैं अविलंब आ गया।

कहते हैं कि मनुष्य को अपने सामर्थ्य पर बड़ा घमंड रहता है। इसलिए संकट आने पर कभी वह अपने पैसे पर,

कभी अपने पद पर, कभी अपने सगे संबंधियों पर, कभी अपने स्त्रोत पर भरोसा करके देखता है और आखरी में जब कोई सहारा शेष नहीं रह जाता तब वह भगवान की ओर मुड़ता है, उसका सहारा लेता है।

कहते हैं भगवान जानते हैं हर एक मनुष्य की पुकार में कितनी आतुरता है उसी के अनुसार वे अपने भक्त की सहायता करते हैं। क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं और जब भी जरूरत होती है वह जरूर मदद करने को आते हैं। बस हमें उनके ऊपर भरोसा करना आना चाहिए। संसार छूटता जा रहा है इसलिए उसका सहारा लेना बिल्कुल बेकार है। उस भगवान का सहारा लो वह अंत तक साथ देगा और अंत से आगे भी साथ देगा।

शिक्षक

– अंकुर सिंह

प्रणाम उस मानुष तन को,
शिक्षा जिससे हमने पाया।
माता पिता के बाद हमपर,
उनकी है प्रेम मधुर छाया।।

नमन करता उन गुरुवर को,
शिक्षा दें मुझे सफल बनाए।।
अच्छे बुरें का फर्क बता,
उन्नति का सफल राह दिखाए।।

शिक्षक अध्यापक गुरु जैसें,
नाम अनेकों मानुष तन के,
कभी भय, कभी प्यार जता,
हमें जीवन की राह दिखाते।।

कभी भय, कभी फटकार कर,
कुम्हार भांति रोज पकाते।
लगन और अथक मेहनत से,
शिक्षक हमें सर्वश्रेष्ठ बनाते।

कहलाते है शिक्षक जग में,
बह्म, विष्णु, महेश से महान।
मिली शिक्षक से शिक्षा हमें
जग में दिलाती खूब सम्मान।।

शिक्षा बिना तो मानव जीवन,
दुर्गम, पीड़ित और बेकार।
गुरुवर ने हमें शिक्षा देकर,
हमपर कर दी बहुत उपकार।।

अपने शिष्य को सफल देख,
प्रफुल्लित होता शिक्षक मन।
अपने गुणिजन गुरुवर को मैं,
अर्पित करता श्रद्धा सुमन।।

भारतवर्ष में 'न्याय के लिए स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के लिए न्याय': अभी हजारों मील चलना है।

– डॉ० रामजीलाल

प्रत्येक राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति, प्रगति एवं सुरक्षा उसकी जनसंख्या के स्वास्थ्य पर निर्भर करती हैं। प्राचीन विद्वान अरस्तु ने राज्य की उत्पति, अस्तित्व और निरंतरता की व्याख्या करते हुए कहा कि "राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया, लेकिन अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में है"। भारत के प्राचीन ग्रंथ के अनुसारः, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणी पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत।। इस श्लोक का हिन्दी में भावार्थ है कि "सभी सुखी होवें, सभी रोग मुक्त रहें, सभी का जीवन मंगलमय बनें और कोई भी दुःख का भागी न बने"। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य के समग्र दृष्टिकोण के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक तथा सामाजिक रूप से भी बेहतर स्थिति में हों। अच्छे स्वास्थ्य के आधार पर व्यक्ति समाज और राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, संस्कृति संबंधी क्षेत्रों में योगदान देता हो तथा वह स्वयं भी एक गुणवतापूर्ण सुखी जीवन व्यतीत कर रहा हों।

"स्वास्थ्य के लिए न्याय, न्याय के लिए स्वास्थ्य" का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को सर्वोतम स्वास्थ्य संबंधी अवसर उपलब्ध होने चाहिए। गुणवतापूर्ण स्वास्थ्य के मार्ग में आने वाली बाधाएं – जातीय, सांप्रदायिक, एथेनिक, ट्राईबल, शिक्षा का पहुंच से बाहर होना, कुपोषण, गरीब और अमीर में अन्तर, आवासीय समस्याएं, बेरोजगारी तथा अन्तर, आवासीय समस्याएं, बेरोजगारी तथा पर्यावरण के परिणाम स्वरूप होने

वाली समस्याएं कल्याणकारी राज्य के द्वारा दूर की जानी चाहिए तभी व्यक्ति को स्वस्थ संबंधी न्याय मिल सकता है। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक नागरिक को आवश्यकताओं के अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं का समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। यही स्वास्थ्य के लिए न्याय है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना के द्वारा ही "हेल्थ फॉर जस्टिस, जस्टिस फॉर हैल्थ" को लागू किया जा सकता है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जीवन तथा जीवन संबंधी स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 24 का संबंध बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा से है। बच्चों को जोखिम भरे ऐसे कार्यों में नहीं लगाया जा सकता जिनके परिणाम स्वरूप उनके स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़े। जीवन के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार भी है।

स्वास्थ्य नागरिक समाज और राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, संस्कृति इत्यादि क्षेत्रों में योगदान दे सकता है एवं परिवार, समाज और शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण करता है। यदि लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो राष्ट्रहीत भी सुरक्षित नहीं होगा। राष्ट्र को मजबूत करने के लिए "जस्टिस फॉर हेल्थ तथा हेल्थ फॉर जस्टिस" का मूल मंत्र लागू करना होगा।?

कमजोर एवं रोगी स्वास्थ्य के परिणाम स्वरूप अपराधों में वृद्धि, आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव, सामाजिक मूल्यों में कमी, स्वास्थ्य सेवाओं पर अधिक खर्च इत्यादि असंख्य समस्याएं पैदा होती हैं। इनके अतिरिक्त पारिवारिक जीवन में भी आर्थिक हालात खराब हो जाते हैं। गरीबी, संकट और तनाव का वातावरण विद्यमान रहता है। बीमारियों का ईलाज कराने के लिए गरीब परिवारों के ऊपर ऋण का बोझ बढ़ जाता है। एक अनुमान के अनुसार 5.5 करोड़ व्यक्ति ऋण से ग्रस्त थे। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य के बिना भविष्य की अनिश्चितता भी बनी रहती है।

नागरिक न्याय के लिए स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य के लिए न्याय की स्थापना करने के लिए सर्वप्रथम गरीबी का उन्मूलन करना नितांत अनिवार्य हैं क्योंकि गरीबी एक अभिशाप है और व्यक्ति के आत्मसम्मान को कमजोर करती है। इस समय भारत सरकार के न्यूनतम आंकड़ों के अनुसार लगभग 80 करोड़ से ऊपर व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में राष्ट्र न तो महान बन सकता है और ना ही व्यक्ति को न्याय मिल सकता है। गरीबी के कारण कुपोषण, भूख और बिमारियां उत्पन्न होती है। बच्चों के स्वास्थ्य, बच्चों की लंबाई तथा वजन पर प्रभाव पड़ता है एवं बच्चे बौने होते हैं। बच्चों तथा महिलाओं में खून की कमी हो जाती है। एक अध्ययन में यह पाया गया कि अनुसूचित जाति की महिलाओं की औसतन आयु सामान्य वर्ग की महिलाओं की अपेक्षा 15 वर्ष कम होती है।

ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत वर्ष में 14 प्रतिशत आबादी कुपोषण से ग्रस्त हैं। परिणाम स्वरूप किसानों और श्रमिकों के 30 प्रतिशत बच्चे कुपोषण से ग्रस्त होने के कारण शारीरिक रूप में कमजोर होते हैं। 50 प्रतिशत गर्भवती महिलाएं (15 वर्ष से 49 वर्ष की आयु तक) एनिमिया से ग्रस्त हैं। जिस देश का बचपन कुपोषण से ग्रस्त हो वहां आप "हेल्थ फॉर ऑल" "हेल्थ फॉर जस्टिस फॉर हेल्थ" के उद्घोष तो लगा सकतें हैं। परन्तु अमल में लागू नहीं कर सकते।

डॉ० भीमराव अंबेडकर क अनुसार भारत में "एक नागरिक, एक वोट, एक मूल्य" के आधार पर लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रयास किया गया है। परन्तु गरीब व्यक्ति संविधान में दिए गए अधिकारों, सरकार की नीतियों तथा योजनाओं का सही प्रयोग नहीं कर सकता। परिणाम स्वरूप उसके अधिकार सुरक्षित नहीं रह सकते। स्वास्थ्य के लिए न्याय के संकेतकों में अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा भोजन, उचित रहन–सहन, उचित शिक्षा, सद्भाव, संस्थागत भेदभाव न होना और सस्ता न्याय इत्यादि मुख्य हैं।

केवल यही नहीं "न्याय के लिए स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के लिए न्याय" के मार्ग में सरकारी हॉस्पिटलों में दवाईयों, डाक्टरों तथा पैरामेडिकल स्टाफ, बैड, वेंटिलेटर तथा ऑक्सीजन सहित अन्य सुविधाओं का अभाव रहता है। सन् 2018 की डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय स्वास्थ्य के क्षेत्र में नर्सों का 47 प्रतिशत, डाक्टरों का 23.3 प्रतिशत, दन्त चिकित्सकों का 5.5 प्रतिशत और फार्मासिस्टों का 24.1 प्रतिशत योगदान है। सन् 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में नर्सों का अनुपात प्रति हजार जनसंख्या के पीछे 36.9 हैं। जबकि भारत में 1000 जनसंख्या के पीछे केवल 1.5 नर्से हैं। इस समय भारत में 1,20,000 डॉक्टर पंजीकृत हैं। प्रत्येक 1150 लोगों के पीछे एक डाक्टर है जबकि डब्लू.एच.ओ. के नार्म अनुसार 1000 जनसंख्या के पीछे एक डॉक्टर होना चाहिए।

टॉक्टरों, हॉस्पिटल, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का जनसंख्या की दृष्टि से अनुपात विभिन्न क्षेत्रों और जिलों में भी अलग–अलग हैं। उदाहरण के तौर पर पूर्वोत्तर भारत में अखिल भारतीय पैमाने के अनुसार डॉक्टरों, हॉस्पिटल, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ का

अनुपात कम है केवल यही हरियाणा जैसे विकसित राज्य में भी डॉक्टरों का बहुत अधिक अभाव है। उदाहरण के तौर पर समाचार पत्रों में प्रकाशित नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कैथल जिले में 21 पीएचसी में 6 सीएचसी में बच्चों के डाक्टर नहीं हैं। अन्य शब्दों में पौने 3 लाख बच्चों के लिए एक बाल रोग विशेषज्ञ हैं। ग्रामीण भारत की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में हॉस्पिटल की भरमार है जबकि ग्रामीणों को बिमारियों का ईलाज कराने के लिए शहरों में आना पड़ता है। संक्षेप में स्वास्थ्य लगभग 39 प्रतिशत मरीज धन तथा स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में दम तोड़ जाते हैं।

कोविड़–19 के दौरान समस्त भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुल गई। सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को "स्वस्थ न्याय" प्रदान नहीं कर सकी। नेताओं का यह नारा है "एक देश, एक संविधान", "एक कानून, एक देश", "एक देश, एक चुनाव"। परन्तु नेताओं ने "एक देश, एक स्वास्थ्य सेवाएं", "एक देश, एक शिक्षा" का नारा नहीं दिया। इस दोहरी व्यवस्था के कारण सरकारी व्यवस्था चरमरा गई। भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं का दिवालिया उस समय निकलता हुआ नजर आया जब राज्य सरकारों के मुख्यमंत्री अथवा स्वास्थ्य मंत्री कोविड़–19 का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाने चले गए और आम जनता को ऐसी स्थिति में "जस्टिस फॉर हेल्थ तथा हेल्थ फॉर जस्टिस" का मूल मंत्र लागू करना असंभव दिखाई देता है। भारतीय सरकार तथा प्रांतीय सरकारों की स्वास्थ्य संबंधी नीतियां और नियत बिल्कुल दिशाहीन हैं। आम आदमी को स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित है। "न्याय के लिए स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के लिए न्याय" की दिशा में अभी हजारों मील चलना है।

(नोटः 26 जून 2021 को एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के द्वारा करनाल क्लब में "इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिक" के सब थीम "हेल्थ फॉर जस्टिस, जस्टिस फॉर हेल्थ" के संबंध में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। फाउंडेशन के अध्यक्ष नरेन्द्र अरोड़ा के निमंत्रण पर मैंने सेमिनार में अपने विचार प्रस्तुत किए। इन्हीं विचारों का संक्षिप्त रूप इस लेख में प्रस्तुत किया गया है।)

जनसंख्या नियंत्रण अति आवश्यक

– दर्शन लाल प्रभाकर

दो भाईयों में पारिवारिक अशांति थी। धनाढ्य परिवार था। छोटा भाई राक्षस प्रवृत्ति वाला होने के कारण बटवारा होना असंभव सा लगता था। क्योंकि बटवारे में राक्षस प्रवृत्ति वाले की शर्त भी तो कोई अजीबोगरीब थी। शर्त थी, हमारे बाप–दादाओं की जमीन जायदाद बहुत है। सारी जमीन पांच सौ एकड़ में खेत छोटे–बड़े बहुत हैं, मुझे सब खेतों में से कोना कोनी काटकर आधा–आधा चाहिए। घर बहुत बड़ा है, सब कमरे, बाथरूम, रसोई, बैडरूम तक में कोना कोनी काटकर आधा–आधा लूंगा। घर बिस्तर बरतन सभी, लेफ चादर तकीया, पलंग, खटिया, बाटी गिलास, थाली, कढ़छुल तक का सही बटवारा होगा। बीचों बीच काटकर, फाड़कर, सभी आधा–आधा होंगे। भला यह प्रक्रिया संभव है।

सज्जनों, सुनने में जैसे अटपटी लगी बात हंसी में उड़ाइये मत समझने का प्रयास कीजिये, यह जो राक्षस प्रवृत्ति वालों का जनसंख्या बढ़ाना और मरणोपरांत जगह दखल करना भी एक साजिश है, केवल धर्म की आड़ में यह सब नाटक है। अफगानिस्तान बना, पाकिस्तान बना, बंगलादेश बना, सब जनसंख्या का ही खेल है। अब भारत को जगह जगह फाड़ कर काट कर आधे आधे की मांग होना शुरू हो चुका है। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को भगा दिया, हरियाणा में मेवात का नाम सुन ही रहे हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी के आने से पहले कहीं न कहीं से हिंदुओं का पलायन हुआ है, सब टीवी, पेपर सब बताते हैं। कुछ दिन पहले बंगाल में ममता बनर्जी की सत्ता आने पर हजारों हिंदू परिवार, घर कारोबार छोड़ कर भागे हैं। देख ही रहे हैं। अभी हाल ही में पंजाब में सरदार अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री पंजाब ने एक अलग जिले की घोषणा की, इस बात पर कि वहां मुस्लिम बहुत संख्यक हैं यह सब उस राक्षस प्रवृत्ति वाले भाई की ही, सोच जैसा प्रतीत होता है। सब बंटने बांटने की तैयारी में हैं। आज हिंदू भाईयों को महंगाई बेरोजगारी जैसी समस्याओं को लेकर सरकार को नहीं कोसना चाहिए।

यह सब तो 365 दिन की समस्याएं हैं। चलती रहेंगी। जीवन भर ऐसा क्रम चलता रहेगा। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण अति आवश्यक है। धर्म की बात बेमाने है। दिल खोलकर सरकार का समर्थन करें। यह कोई पक्षपात नहीं, देश हित, राष्ट्र हित की बात है। अन्यथा पछताना पड़ेगा। ऐसे तो बहुतों ने बहुत ज्ञान दिया है, पर ऐसी कहानी शायद ही सामने आई हो। कृपया उस पर गौर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।

जब कोई नक्शा नवीश एक कोठी, एक घर का नक्शा तैयार करता है तो सूर्य की किरणों से लेकर पानी के निकास तक की सभी आवश्यकताओं को देखते हुए, रसोई, बाथरूम, बैठक, बेडरूम, कार पोर्च, घर का मुख्य द्वार एवं पाकेट डोर

तक की रूप रेखा तैयार करता है। ठीक इसी तरह जब कोई गांव, कस्बा, शहर बनता है। तो प्रशासन भी नागरिकों की सुख सुविधाओं के मध्य नजर हर प्रकार की व्यवस्थाएं मुहैया करवाने की कोशिश करता है। एक कहावत है कि गांव बसा नहीं उचक्के पहले आ गए। यह प्राकृतिक है। इसलिए घबराना नहीं, यह सब जीवन के हिस्से ही हैं। प्रशासनिक नियम है, एक उदाहरण के साथ बात सामने आएगी। अकस्मात कहीं आग की प्रचंड घटना घट गई तो नियम है, दमकल को बुलाया जाता है। दमकल आते ही पहले नियमानुसार आग पर काबू पाने के लिए पहले साथ वाली जगह को गीला करती है, ताकि आग आगे बढ़े नहीं। जो जल रहा है वह तो अब भस्म होगा ही, जो सही है वह बचाया जा सके। ठीक वैसे ही प्रशासनिक नियम है कि जो हरामखोर और बीमारियों के व्यापारियों पर तो कार्रवाई होती ही है, उससे अधिक, नागरिकों में से, बुद्धि जीवी वर्ग के लिए सब सुविधाओं का ध्यान मुहैया कराने की प्रशासन की प्राथमिकता देने के लिए हर समय तैयार रहता है। यह सब कुछ प्रशासन की अंदरूनी बातें हैं। केवल हल्की सी भनक लग जाए तो प्रशासन ऐसे लोगों को सही में प्राथमिकता देता है। इसलिए घबराने की आवश्यकता बिलकुल नहीं, खाओ पीओ, मस्त रहो, मास्क का व्यवहार करो, घर में नहीं, काढ़ा रोज दो बार पीओ, सफाई का ध्यान रखो, योग इतना करो कि पसीना आ जाए। पसीना आना निहायत आवश्यक है।

बहुत–बहुत धन्यवाद।

बनावटी व नकली जिंदगी न जिएं

– जस्टिस प्रीतम पाल

आज हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं कि आज का मानव आधुनिकता की चकाचौंध में अंधा हुआ और बिना सोचे–विचारे बनावटी जीवन जी रहा है। इस प्रकार वह न केवल दुनिया को अपितु अपने आप को भी धोखा दे रहा है। जो वह असलियत में है, उससे अलग दिखने की चेष्टा में वह अपनी पहचान को भी खोता जा रहा है।

सच से दूर भागने की प्रवृत्ति के कारण ही मनुष्य बनावटी जिंदगी जीने को मजबूर है। वह वो दिखना चाहता है जो वह है नहीं। परंतु वह भूल जाता है कि जिस प्रकार कोयले की खान में रहकर भी हीरे की पहचान छुपी नहीं रहती, उसी तरह मनुष्य बनावट का कैसा भी रंग पोत ले, उसकी सच्चाई एवं वास्तविकता ज्यादा देर तक छुपी नहीं रहती।

यहां पर तैं बताना चाहूंगा कि मेरे सेवा काल के दौरान एक महात्मा जो स्वामी सत्यप्रिय ब्रह्मचारी के नाम से जाने जाते थे, मेरे पास प्रायः कई दिनों तक आकर ठहरते थे। वेदों और गीता के वह एक प्रकाण्ड पंडित थे। उनकी शिक्षा और उपदेश बहुत ही ऊंचे दर्जे के थे। एक बार जब मैं 1995 में जिला हिसार (हरियाणा) में सैशन जज के पद पर नियुक्त था। उस समय उनके प्रवचन जिला के सभी न्यायिक अधिकारीगणों को अपने घर पर ही सुनाने का आयोजन किया, अपने प्रवचनों में, मुझे आज भी याद है कि उन्होंने कहा था ''बनावटी जीवन से कभी शांति नहीं मिलती'' और ऐसा जीवन वास्तव में निरर्थक ही चला जाता है। उन्होंने इसका एक उदाहरण भी दिया था। एक चांदी का गिलास जिसमें नीचे छेद है, उसकी कोई कीमत नहीं होती, जबकि एक मिट्टी का गिलास जो बिन छेद का हो उसकी कीमत उस चमकते चांदी के गिलास से कहीं अधिक हैं। दूसरा इसी संदर्भ में उनका कथन था– ''मनुष्य का सम्मान उच्च चरित्र से होता है न कि पद, पैसे और बनावटी जीवन से'' देखो। महात्मा गांधी, रवींद्रनाथ टैगोर, लाल बहादुर शास्त्री, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद उन सबके पास कोई पद, पैसा व चकाचौंध का कोई सामान भी नहीं था किंतु उनके वास्तविक चरित्र और सादगी के जीवन से कोई भी भारतवासी अछूता नहीं था। इसी प्रकार आज के युग में श्रेय स्वामी रामदेव, अन्ना हजारे, नेल्सन मण्डेला और मदर टेरेसा को देखो। इन सबके उच्च चरित्र और सादगी के पवित्र जीवन से भी आज तक कोई अछूता मालूम नहीं पड़ता।

यह है वास्तविक अंतर। आगे अपने प्रवचनों के दौरान सबका शंका समाधान करते हुए स्वामी जी ने बताया ''चरित्र मनुष्य के भीतर रहता है और व्यक्ति बाहर। व्यक्ति कितना ही सज संवर ले, लेकिन एक दिन चरित्र उसकी सच्चाई खोलकर दुनिया के सामने रख ही देता है। सच्चाई हमेशा छुपी नहीं रहती''। सत्य को जानने से कहीं अधिक कठिन है, उसे स्वीकार करना। इसीलिए कहा है कि सच बहुत कड़वा होता है।

हम सब जानते हैं कि सच्चाई और बुराई हमेशा छुपी नहीं रहती एक न एक दिन सामने जरूर आती है उनके सामने आने पर मनुष्य को काफी जिल्लत और शर्म का सामना करना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को यथार्थ में जीना सीखना चाहिए।

जीवन उत्थान, स्वस्थ एवं दृढ़ विचारों से यदि हम अपने जीवन का कायाकल्प करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने स्वस्थ विचारों द्वारा अपने आपको दृढ बनाना होगा क्योंकि जैसे मनुष्य के विचार होते हैं वैसे ही उसकी मूर्त बनती

है और उसका व्यक्तित्व बनता है। इस पुस्तक में हर एक पाठ के अंदर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में विचार शक्ति का ही चमत्कार दिया गया है। वास्तव में 'विचार' ही सच्चा जीवन दर्शन है। अतः इसी जीवन दर्शन का ज्ञान होना मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है।

परंतु इसके विपरीत हम आज क्या देख रहे हैं कि मनुष्य अपने असली चेहरे पर नकली चेहरा लगाए घूम रहा है। वह वास्तव में जो है, उससे अलग और सुंदर दिखने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि कौन कया है? यह निश्चित रूप से कहना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है।

इस उपरोक्त संदर्भ में मुझे एक शेर याद आता है जो आज की स्थिति पर पूरा उतरता है :

"जिसको भी देखना हो, कई बार देखना।
हर आदमी में होते हैं, दस बीस आदमी।।"

इसी से संबंधित एक और शेर है

एक जुर्मे ख्यानत तुने किया ताकत की जहां अपना समझा।
मसनद पे पहुंचकर भूल न जा ताकत तो एक अमानत है।"

इन उपरोक्त शेरों का अर्थ और भाव यही है कि आज का मानव अपनी वास्तविकता को भूलकर नकली बचावनी जिंदगी जीने में विश्वास रखता है।

आपने भी स्वयं जीवन में इसका अनुभव किया होगा। शुरू–शुरू में कोई आदमी आपको बहुत महान लगता है, बड़ा भला, नेक दिखाई देता है। उसकी तारीफ करते आप थकते नहीं है। परंतु कुछ समय बाद वहीं आदमी आपको बुरा लगने लगता है। उससे आपको सख्त नफरत हो जाती है। वास्तव में ऐसे आदमी के निकट आकर ही पता लगता है कि वह तो इंसानियत से कोसों दूर एक घटिया इंसान है। आज के इस युग में प्रत्येक व्यक्ति ने स्वयं को किसी न किसी रूप में नकली बना रखा है। आपको इस संसार में ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे, जो बाहर भीतर से एक से हों, और तो और आज के तथाकथित बहुत से महात्मा संतों का चरित्र और असली रूप जब Sting Operation द्वारा टैलीविजन पर दिखाया जाता है तब आश्चर्य से आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इस प्रकार हमारी जो उनके प्रति आस्था थी, उस पर एक गहरी चोट लगती है।

सफलता में बाधक है नकलीपन :

नकली रूप ज्यादा देर तक टिकता नहीं है, वह एक न एक दिन बेनकाब होता है और तब हानि उठानी पड़ती है। अतः सदैव याद रखें कि नकलीपन हमारी सफलताओं के मार्ग में बाधा है। इससे हम अनावश्यक रूप में लोगों को अपना दुश्मन भी बना लेते हैं। जो काम नहीं होने वाला है, उसके लिये हम 'हां' कर बैठते हैं क्योंकि जो डींगे हम हांक चुके हैं उनकी इज्जत तो रखनी ही है। कई बार हम अपने बनावटीपन के जाल में खुद उलझ जाते हैं।

कई बार मनुष्य बनावटीपन के चक्र में यथार्थ भुला देता है और अंत में सच्चा सुख न पाकर अपने जीवन में नाना प्रकार के दुःख भर लेता है।

यह कभी मत भूलिये कि जीवन में सफलता पाने के लिये नकलीपन दूर करना आवश्यक है। हमारा नकलीपन हमें कभी भी धोखा देकर नीचे गिरा सकता है। व्यापार में भी आपने देखा होगा, कुछ निर्माता जब शुरू–शुरू में अपनी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, तो उनका स्तर बड़ा ऊंचा रखते हैं, उसकी क्वालिटी और गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखते हैं, पर जब बाजार उनके हाथ में आ जाता है, तो अपना उत्पादन का स्तर क्रमशः घटाने लगते हैं, और इस प्रकार अधिक मुनाफा खींचने लगते हैं। उनके यथार्थ में तब त्रिमता आने लगती है, जो आगे चलकर यही उनके पतन का कारण बनती है।

कृषि विधेयक 2020- उचित या अनुचित

– अंकुर सिंह

जिस देश का अन्नदाता किसान पिछले कई महीनों से कुदाल और बैल लेकर खेतों में जाने के बजाय सड़को पर बैठा हो, उस देश के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या होगी, देश के जीडीपी में 16–18 प्रतिशत तक का योगदान देने वाले किसानों की संख्या 2014–2015 रिपोर्ट के अनुसार देश की जनसंख्या का 67.8 प्रतिशत है , इस आधार पर कहा जा है इस देश का एक बड़ा वर्ग आज भी खेत–खलिहानो पर निर्भर हैं हैं और इनके हित को किसी भी तरीके से नजर अंदाज नहीं किया जा सकता हैं ।

वर्तमान में भारत सरकार ने कृषि से संबंधित तीन अध्यादेश किया है जिसे सरकार, उनके सहयोगी घटक और कुछ सामाजिक/कृषि संगठन किसानों के हित में बता रहे है वही विरोधी दलों, अन्य कृषि संगठनों के साथ–साथ सरकार का एक सहयोगी घटक अकाली दल भी विधेयक के विरोध में अपना रुख देखा चुका है।

सरकार का पहला विधेयक हैं, कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक 2020, इस में

किसानों को अपनी फसल व्यापारियों को मंडी के बाहर फसल बेचने की आजादी होगी। इससे राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले और राज्यों के बाहर एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार को बढ़ावा मिलेगा जो की स्वागत योग्य हैं। लेकिन यहाँ ये सोचने की बात हैं की देश का 86 प्रतिशत किसान लघु और माध्यम वर्ग के श्रेणी में आते हैं, जिनके पास 5 एकड़ से भी कम खेती योग्य जमीन हैं। इनमें से अधिकतर किसान अपनी फसल मंडी ना ले जाकर आस–पास के व्यापारियों को बेचते हैं। वर्ष 2003 के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग (रेगुलेशन) ऐक्ट के तहत सरकार किसानों को बाध्य भी नहीं कर सकती की वह अपनी फसल मंडी में ही बेचे, इस आधार पर कह सकते हैं की बाजार की आजादी तब भी था लेकिन सीमित क्षेत्र में अब ये क्षेत्र पूरी तरह खुला हो गया हैं और ई–ट्रेडिंग का सुलभ विकल्प भी मिल गया इस विधेयक से।

लेकिन तब किसानों के फसल का न्यूनतम फसल मूल्य (एमएसपी) था जो नए नियम में मंडी के बाहर अनाज उत्पादन में नहीं हैं। जबकि देश के कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री जी कह रहे है की मंडी में पूर्व की भांति सरकारी खरीदी चलती रहेगी और उस पर एमएसपी रहेगी। मंडी के बाहर एमसपी ना होना कहीं न कहीं किसानों के हित में नहीं हैं, यदि मंडी के बाहर के खरीद पर भी एमएसपी का प्रावधान हो और एमएसपी के नीचे किसानों के अनाजों की खरीददारी जुर्म घोषित कर दिया जाए, तो ये विधेयक काफी क्रांति लाने वाला होगा। क्योंकि बाजार में प्रतिस्पर्धा आएगी और किसानों के पास ज्यादा विकल्प होंगे अपनी उपज को कहीं भी बेचने का।

आरबीई के 2018 के एक सर्वे के अनुसार 50 प्रतिशत से ज्यादा किसानों ने न्यूनतम फसल मूल्य (एमएसपी) को अपने हित में बताया था, फिर भी सरकार नए बिल में एमसपी क्यों नहीं जोड़ रही ये समझ के बाहर की बात है। एमएसपी का निर्धारण तमिलनाडु में जन्मे और पद्म श्री,पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित प्रो. एमएस स्वामीनाथन कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर कुल लागत (कुल खर्च+पारिवारिक मजदूरी) का 1.5 गुना होना चाहिए।

दूसरा विधेयक, कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक–2020, जिसमे व्यापारी या कम्पनियाँ बुवाई से पूर्व किसानों से एक अनुबंध करेंगी कि आप फलां फसल की बुवाई करो और हम फलां तारीख को फलां कुंटल अनाज फलां मूल्य पर आपसे खरीदेंगे जो निस्संदेह काफी अच्छा बिल हैं किसान के फसल का मूल्य बुवाई के पूर्व निर्धारण हो जायेगा इससे अच्छी बात और क्या हो सकती हैं ? लेकिन इससे साथ इसमें कुछ खांमियाँ भी हैं क्योंकि अपने देश के आधे से ज्यादा किसानों के पास खेती के लिए पर्याप्त खेत नहीं हैं और वो बड़े किसानो के खेत अधिया, तीसरी या बटाई पर लेकर खेती करते हैं। अनुबंध खेती प्रणाली आ आने से व्यापारी या कम्पनियाँ सीधे खेत के मालिकों से अनुबंध करेंगी जिससे पहले अधिया, तीसरी या बटाई पर खेती करने वाले किसान बस नाम मात्र का किसान रहेंगे सरकारी आकड़ों में।

दूसरे अनुबंध खेती प्रणाली से एक फायदा ये है की अनुबंध होने से व्यापक स्तर पर उस फसल पर खेती होगी जिसके लिए श्रमिकों की जरुरत होगी और स्थानीय लघु किसानों के लिए रोजगार का भी सृजन होगा लेकिन जो लघु किसान कल तक अन्नदाता भगवान के नाम से जाना जाता था अब वो राष्ट्र निर्माता मजदूर बन जायेगा।

एक प्रमुख खांमियाँ ये भी स्पष्ट दिख रहा कि किसी विवाद के स्थिति में किसान और अनुबंध करने वाला व्यापारी उप प्रभागीय न्यायाधीश (एसडीएम) के यहाँ अपील करेगा और 30 दिनों में निस्तारण न होने पर जिला न्यायाधीश (डीएम) के यहाँ मामला जायेगा और डीएम मामले का निस्तारण करेंगे। अपने देश में भ्रष्टाचार कितना चरम पर हैं, किसी से छुपा नहीं हैं ये (भ्रष्टाचार अनुभव सूचकांक 2019 में भारत का दुनिया के 180 देशों में 80वां स्थान पर है) तो यंहा भी सम्भावना है कि आर्थिक रूप से मजबूत व्यापारी या कंपनी इन प्रशासनिक अधिकारियों पर येन केन प्रकारेण दबाव डालेंगे निर्णय अपने पक्ष में करने के लिए। यदि ऐसा हुआ तो दूसरों का पेट भर भूखा सोने वाला, आधा तन ढककर खेतों में हल चलाने वाला किसान अपने हक की लड़ाई कैसे जीत पाएगा ? सरकार को चाहिए की इसमें आगे के कोर्ट की व्यवस्था भी बनाएँ ताकि इन मनोनीत अधिकारियों से न्याय न मिलने पर किसान के साथ–साथ व्यापारी वर्ग को ऊपर की अदालत में अपनी बात कहने का हक हों, क्योंकि आज भी देश का आम नागरिक कार्य–पालिका में उतना विश्वास नहीं रखता जितना की न्यायपालिका में।

इस कड़ी का तीसरा अध्यादेश है आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक–2020, इस अध्यादेश में सरकार ने अब खाद्य तेल, तिलहन, दाल, प्याज और आलू जैसे कृषि उत्पादों पर से स्टॉक लिमिट हटा दी गई हैं। राष्ट्रीय आपदा, सूखा, महामारी युद्ध जैसी विकट स्थितियों में स्ध्टॉक लिमिट पुनः लगाई जा सकेगी। इससे एक फायदा ये हैं कि किसानों की उपज अब बेकार होकर फेंकी नहीं जाएगी, लेकिन बाकी बिल

की तरह यहाँ भी कालाबाजारी जैसी कुछ और खाामियाँ दिख रही हैं, क्योंकि जब फसल के उत्पादन का समय होता है तो ज्यादा उपलब्धता के कारण बाजार में आसानी से कम रेट में बाजार में मिल जाती है। जब इन खाद्य वस्तुओं से स्टॉक लिमिट हट जाएगी तो बड़े–बड़े व्यापारी, कंपनियां फसल उत्पादन के समय किसानों से कम रेट में ज्यादा फसल खरीदकर इन्हें जमा कर लेंगी। बाजार में इनके मांग पर पूर्ति ना होने पर, इनकी उपलब्धता की कमी दिखाते हुए उच्च दामों में इन वस्तु को बेचेंगे जिससे इस संरचना में सबसे आखिरी कड़ी कहा जाने वाला उपभोक्ता प्रभावित होगा और उसे महंगे दामों पर इन दैनिक खाद्य वस्तुओं को खरीदनी पड़ेगी तथा महँगाई में बेजोड़ बढ़ोत्तरी होगी, इसका उदाहरण देश में बीच–बीच में प्याज की आसमान छूते भाव में देखने को मिलता है की कैसे इसका भण्डारण कर कीमतों की कालाबाजारी किया जाता रहा हैं। खाद्य तेल, तिलहन, दाल, प्याज और आलू तो हर घर में प्रयोग किया जाता है। इस आधार पर कह सकते है कि आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक–2020 से किसान ही नहीं आम जनमानस भी परेशान होगा।

आखिरी में ये सवाल जेहन में ये उठता हैं कि सरकार को इतनी जल्दी क्या थी इस जो ये संशोधन को लोकसभा के बजाय अध्यादेश (भारतीय संसद के द्वारा नये कानूनों का निर्माण, पुराने कानूनों में संशोधन किया जाता है। लेकिन जब संसद का सत्र न चल रहा हो तो भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रीमण्डल की सिफारिश पर भारत का राष्ट्रपति जिन कानूनों को लागू करता है वह अध्यादेश कहलाता है और अध्यादेश संसद की कार्यवाही पुनः शुरू होने पर दोनों सदनों में न्यूनतम छह सप्ताह और अधिकतम छह माह के समय सीमा में पारित करना आवश्यक होता है। यदि दोनों ही सदन के ज्यादातर सदस्य इसे खारिज करने के पक्ष में मतदान करते हैं तो ये अध्यादेश समाप्त हो जाता है) से लाई, सरकार किसानों के बीच एक सर्वे करा कर लोकसभा से भी ये विधेयक ला सकती थी। सरकार क्या सच में, किसानों के हित के लिए ज्यादा उतावली थी या फिर पूँजीपतियों के दबाव में उन्हें फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से कोरोना जैसे महामारी में मौके पर चौका मारना चाहती थी, आज सरकार के सहयोगी पार्टी रहे कुछ राजनीति दल पंजाब और हरियाणा में के किसानों का मूड देखते हुए सरकार से बगावती तेवर अपनाए हुए है, आखिर ये दल उस समय क्यों चुप थे जब कैबिनेट मीटिंग करके ये अध्यादेश लाया जा रहा था। इसे अन्न उपजाने वाले बेबस किसानों के साथ सियासत की राजनीति करना ना कहें तो और क्या कहें ?

खैर ये तो आने वाला भविष्य बताएगा कि इस अध्यादेश का परिणाम कैसा आएगा या किसानों का आंदोलन देश की राजनीति को कौन सी दिशा देगी। क्योंकि जिस तरह इस तरह के कानून का परिणाम तुरंत नहीं अपितु कुछ सालों के बाद दिखाई पड़ेगा वैसे ही ये कृषक आंदोलन देश के राजनीति में बहुत कुछ बदलाव लाने में सक्षम होगा।

वैवाहिक विज्ञापन

- SM4 Jat Girl (DOB Nov. 94) 26/5'1" NET in Commerce, B.Ed, Pursuing PhD. from M.D.U. Rohtak. Wworking as Guest Faculty at CDLU Sirsa. Father in Haryana Government. Mother housewife. Preferred match in Government job. Avoid Gotras: Gill, Goyat, Gehlawat. Cont.: 9416193949
- SM4 Jat Girl 26/5'11" M.A., B.Ed. Employed as teacher in Panchkula. Own house at Baltana (Punjab). Avoid Gotras:Dalal, Kadian, Gawadiya. Cont.: 8054064580, 9888754351
- SM4 Jat Girl (DOB 15.05.94) 27/5'4" M.B.B.S. Doing PG Anethesiology 2nd year from PGI. M.S. Rohtak. Avoid Gotras:Pannu, Gill, Dhull, Luhach (Direct). Cont.: 9416865888.
- SM4 Jat Girl (DOB 25.04.93) 28/5'4" M.Sc. Nursing. Working at Kailash College of Nurshing. Avoid Gotras: Pilania, Malik, Singroha. Cont.: 7015420969, 9896813684
- SM4 Jat Girl (DOB October, 86) 34/5'5" M.Sc. Geography. M. Phil, PhD. from P.U. Avoid Gotras: Panghal, Dalal, Sangwan. Cont.: 9646404899
- SM4 Jat Girl (DOB 13.02.94) 26/5'4" BCA from K.U. K., M.Sc. (IT) from P.U., Doing B.Ed. Family settled at Karnal. Avoid Gotras: Mann, Dhankhar, Kadian. Cont.: 9416867917
- SM4 Jat Girl (DOB 15.09.95) 25/5'5" B.Sc (Micro-Biology), M.Sc. (Micro-Biology) from K.U.K. Preparing for I.A.S. Father retired from Govt. Job. Agriculturist landlord. Mother housewife. Family settled at Jagadhri (Yamuna Nagar). Avoid Gotras: Sheoran, Chahal. Cont.: 9518680167, 9416036007
- SM4 Jat Girl (DOB 06.02.95) 26/5'6" B.A.from Delhi University, MBA from I.P. University. Doing B.Ed and preparing for NET entrance. Father Chief Pharmacy Officer (NTPC). Family settled at Bahadurgarh (Jhajjar). Avoid Gotras: Khatri, Dalal, Rana. Cont.: 9650993615
- SM4 Divorced Jat Girl (DOB 20.02.85) 36/5'4" B.Sc, B.Ed., MSc. with Math. CTET cleared. Employed in K. V. school on contact basis. Father retired from Indian Air Force.

Own house at Chandigarh. Avoid Gotras: Gill, Rathi, Goyat. Cont.: 9417216868

- SM4 Jat Girl 29/5'6" MBA from MDU Rohtak. Employed in Geological Survey of India, Ministry of Mines, Govt. of India. Family settled at Rohtak. Living with Nana/Nani. Avoid Gotras: Malik, Panghal, Dahiya. Cont.: 9468402962
- SM4 Jat Girl (DOB April, 88) 33/5'3" Law Graduate, MA political science, B.Ed. Husband expired due to Covid. No baby. Father retired lecturer. Mother Teacher in service. Avoid Gotras: Nain, Boora, Bolan. Cont.: 9896964434
- SM4 Jat Girl (DOB 16.05. 89) 32/5'4" B.Sc., M.Sc, LLB, LLM, NET qualified in Law. Practicing as Advocate in Punjab & Haryana High Court and Distt. Court Panchkula. Younger brother pursuing CA final, M. Com. Father retired from Ayush Department Haryana. Mother Hindi Teacher in Haryana Govt. Avoid Gotras: Malik, Dalal. Cont.: 9416561936
- SM4 Jat Girl (DOB 16.09. 95) 25/5'4" M. Com. Avoid Gotras: Sangwan, Rathi, Dahiya. Cont.: 8295254387, 9466413387.
- SM4 Jat Girl (DOB 02.06.93) 28/5'3" BPED, MPED, PGTCA & Yoga. Pursuing Diploma in Yoga. Family settled at Pinjore. Father employed in Haryana Government. Mother housewife. Avoid Gotras: Mor, Gill, Lather. Cont.: 9466767508, 9416425810
- SM4 Jat Girl (DOB 14.07.97) 24/5'4" M.Sc. Physics, Pursuing B.Ed. Father, mother Government teacher. Avoid Gotras: Mehla, Malik, Mann. Cont.: 9050988983
- SM4 Jat Girl 28/5'3" B.Tech. Employed as Bank Officer in SBI. Father retired class-I 0fficer from Haryana Government. Mother Bank Officer in PNB. Preferred Tri-city based well settled officer boy of educated family. Avoid Gotras: Sehrawat, Lohan, Ahlawat. Cont.: 9877956770, 9815041361
- SM4 Jat Girl 26/5'5" B.Tech. (C.S.). Working as Senior Software Developer in Coforge Ltd. Noida with Rs. 10 lakh package PA. Father working in AFT Chandigarh. Mother home maker. Brother Army Officer (NDA). Avoid Gotras: Goyat, Khatkar, Nain. Cont.: 8427737450, 7988624647
- SM4 Jat Girl 29/5'4". B.A. from Kurukshetra University. GNM from Pt. Bhagwat Dayal University Rohtak. Preferred match from Tri-city. Avoid Gotras: Bankura, Mann, Narwal. Cont.: 9354839881
- SM4 Jat Boy (DOB 16.12.94) 25/6feet Chartered Account (CA) B.Com, from D.U., Pursuing DIP (IFRS) from U. K. Working as Audit Associate in Price Water House Cooplirs (P.W.C.) Banglore with package of Rs. 8.50 lakh PA. Father retired from KVS as teacher. Own house, plot and agriculture land at Delhi. Family income around Rs. 2 lakh PM. Preferred CA girl/working in Govt. job in Delhi. Avoid Gotras: Rana, Duhan, Sehrawat. Cont.: 9213513658
- SM4 Jat Boy 28/5'10" B. Tech. (CSE) Working in IT Sector Chandigarh. Avoid Gotras: Dalal, Kadian, Gawadiya.Cont.: 8054064580, 9888754351
- SM4 Jat Boy (DOB 05.11.97) 23/6'1" B.Tech. (Mechanical). Employed in Chandigarh Administration on regular basis. Father Sub. Inspector in Haryana Police. Mother housewife. Preferred match with job in tri-city. Avoid Gotras: Nayotne, Bhadhran (Goyat), Panjeta. Cont.: 9467412702
- SM4 Jat Boy (DOB 28.10.92) 28/5'9" B.Tech. (Mechanical) from K.U.K. Working as Senior Production Manager in Stylam Industries Pvt. Ltd. Raipur Rani (Panchkula). Father in Govt. job at Panchkula. One flat in Sushma Green Vista Dhakoli (Zirakpur), 3 Acre land, 1 Residential house, 2 plots and 1 Service Station at Refinery Road, Village Badauli (Panipat.). Avoid Gotras: Mittan, Kharb, Dahiya. Cont.: 8146082832
- SM4 Jat Boy (DOB 30.09.93) 27/6'2" B.A. with Math & economics from P.U., M.A. (English) from P.U., Two Post Graduate Diplomas in Event Management & Global Hospitality Management from Canadian Colleges. Avoid Gotras: Phougat, Dahiya, Rathi. Cont.: 9915484396
- SM4 Divorced Jat Boy (DOB13. 09. 86) 34/5'9" B. Tech & Diploma in Electrical Engineering. Employed in Central Government Department on contact basis. Father retired from Indian Air Force. Own house at Chandigarh. Avoid Gotras: Gill, Rathi, Goyat. Cont.: 9417216868
- SM4 Jat Boy 27/5'8" B. Tech, M.Tech. Employed in ONGC, Govt. of India Undertaking under Ministry of Petroleum and Natural Gas. Avoid Gotras: Malik, Panghal, Dahiya. Contact:9468402962
- SM4 Jat Boy (DOB 10.08.88) 32/5'9" B.Tech. (Mechanical). Working as Training Officer, GITOT Rohtak. Avoid Gotras: Kharb, Rathi, Khatri. Cont.: 9416152842
- SM4 Jat Boy (DOB 19.08. 92) 28/5'8" B. com, M. Com., CA final year. Father retired from Ayush Department Haryana. Mother Hindi Teacher in Haryana Govt. Avoid Gotras: Malik, Dalal. Cont.: 9416561936
- SM4 Jat Boy 28/6'2" Captain in Army. District Yamuna Nagar (Haryana). Avoid Gotras: Darri, Sindhad, Sindhu. Cont.: 7717397230
- SM4 Jat Boy (DOB14. 03. 95) 26/5'10", B.A. Doing MA. Working in Municipal Corporation Chandigarh as clerk on contract basis. Own house at Panchkula. Avoid Gotras: Sangwan, Jakhar, Pachar. Cont.: 9463961502
- SM4 Jat Boy (DOB 27.04.89)31/5'10" B.Tech.in Bio-Medical Engineering. Working in a reputed Master's Medical Company with package of Rs. 16.5 lacs PA. Father businessman. Mother housewife. Avoid Gotras: Jatyan, Duhan, Dagar. Cont.: 9818724242.

LIST OF DONORS FOR CONSTRUCTION OF CH. CHHOTU RAM YATRI NIWAS, KATRA, JAMMU

Sh. Ram Kanwar Sahu **5,11,111.00**
110, Subhash Nagar, Rohtak
VPO Bibipur, Distt. Jind

Sh. Sukhbir Singh Nandal **5,01,000.00**
426/427, Nemi Sagar Colony,
Vaishali Nagar, Jaipur (Raj.)

Mrs. Divyawanti Vijay, Rohtak **21000.00**

Sh. Parveen Kumar **21000.00**
1534-A, Sector 41, Chandigarh.

Sh. Narender Kumar Gulia **21000.00**
399, VPO: Badli, Distt. Jhajjar (H.R.)

Sh. Ram Chander Beniwal **21000.00**
VPO: Mirzapur, Distt. Hisar (H.R.)

Sh. Nirmal Singh **11000.00**
165, M.S. Enclave, Dhakoli (Pb.)

Dr. Chand Kaur Mann **11000.00**
1132-B, Sector 20-B, Chandigarh.

Sh. Ved Singh Duhan **11000.00**
251, Vill: Budanpur, Sector 16, Panchkula.

Sh. Jodha Ram Mangawa **11000.00**
Flat No. 6, 1st floor, Swastik Vihar
MDC, Sector 5, Panchkula.

Sh. Ashish Choudhary, Advocate **11000.00**
2505, Sector 21, Panchkula.

Maj. Dr. Aman Choudhary **11000.00**
4079, Sector 46-D, Chandigarh.

Sh. Sandeep Rathi **11000.00**
Flat No. 503, Varbina Block
Amrawati Enclave, Panchkula.

Sh. Krishan Sheoran **11000.00**
#242- B, 3/1, Shiv Shakti Colony, Pinjore.

Sh. Raghuvinder Singh **11000.00**
Flat No. 403, GH-03, The Bloosm Group Housing,
Sector 27, Panchkula.

Sh. Ashutosh Dhankhar, Advocate **11000.00**
6, Sector 14, Panchkula.

Sh. Devender Punia **11000.00**
B2-607 Summer Palms, Sector 86, Faridabad.

Sh. Jagvinder Singh Turka **11000.00**
335, Sector- C, Defence Colony, Ambala Cantt.

Sh. Parduman Kumar **11000.00**
1369, Sector 1, HUDA Part-I,
Shahbad (M), Distt. Kurukshetra (H.R.)

Sh. Jaswant Singh Budhwar **11000.00**
VPO: Charuni Jattan, Distt. Kurukshetra (HR)

Sh. Jasbir Singh Gandhe **11000.00**
VPO: Pinjoura, Distt. Yamuna Nagar (H.R.)

Sh. Rajbir Singh Bachhal **11000.00**
VPO: Landa, Distt. Ambala (H.R.)

Sh. Dhanraj Singh Kundu **11000.00**
341/1, Ward 2, Charkhi Dadri, (H.R.)

Sh. Jai Pal Punia **11000.00**
507, Sector 21, Panchkula.

Sh. Rajender Panghal **11000.00**
37-P, MDC, Sector 4, Panchkula

Sh. Hari Singh Ahlawat, IPS (Rtd.) **11000.00**
940/22, Vijay Park, Jhang Colony, Rohtak (Haryana)

Sh. Anup Singh Grewal **11000.00**
Flat No 128, Type-IV, Laxmibai Nagar, New Delhi.

Sh. Satyavan Singh **11000.00**
#149-A, Sector 26, Police Station Chandigarh.

Sh. Kamaldeep Singh Redhu **11000.00**
D2/34, DLF Valley, Panchkula.

Sh. Navinder Singh Sehrawat **5100.00**
3130, Sector 28-D, Chandigarh.

Subedar Balbir Singh Malik **5100.00**
VPO: Gandhra, Distt. Rohtak (H.R.)

Sh. Ishwar Singh Malik **1100.00**
2511, Sector 21, Pnchkula.

Sh. Ranbir Singh Rathi **1100.00**
Shakti Nagar, Ambala Cantt. (Haryana)

Col. (Rtd.) O. P. Dahiya **1100.00**
261, Sector 35, Chandigarh.

Sh. Gulab Singh Antil **1100.00**
749, Sector 7, Chandigarh.

Sh. Naresh Kumar **1100.00**
1378, Sector 21, Panchkula.

Sh. Anand Singh **1100.00**
1378, Sector 21, Panchkula.

Sh. Ramphal Nain **1100.00**
671, Sector 21, Panchkula.

Sh. Pritam Singh **1100.00**
778, Sector 27, Panchkula.

Sh. Mahabir Singh **1100.00**
516, Sector 12-A, Panchkula.

आर्थिक अनुदान की अपील

आपको यह जानकर अति प्रसन्नता होगी कि जाट सभा चंडीगढ़ द्वारा 6 जून 2019 को गांव कोटली बाजालान-नोमैई कटरा जम्मु में जी टी रोड़ पर 10 कनाल भूमि की भू-स्वामी श्री संतोष कुमार पुत्र श्री बदरी नाथ निवासी गांव कोटली बाजालान, कटरा, जिला रियासी (जम्मु) के साथ लंबी अवधि के लिए लीज डीड पंजीकृत की गई है। इस भूमि का इंतकाल भी 6 जुलाई 2019 को जाट सभा चंडीगढ़ के नाम दर्ज हो गया है। इस प्रकार इस भूमि पर जाट सभा चंडीगढ़ का पूर्ण स्वामीत्व स्थापित हो चुका है। बिल्ड्गि के मजबूत ढ़ांचे/निर्माण के लिये साईट से मिट्टी परीक्षण करवा लिया गया है और बिल्ड्गिं के नक्शे/ड्राईंग पास करवाने के लिये सम्बन्धित विभाग में जमा करवा दिये गये है। इसके अलावा जम्मु प्रशासन व माता वैष्णों देवी साईन बोर्ड कटरा को यात्री निवास साईट पर जरूरी मूल भूत सार्वजनिक सेवायें - छोटे बस स्टैड़, टू-व्हीलर सैल्टर, सार्वजनिक शौचालय, वासरूम, पीने के पानी का स्टाल आदि के निर्माण हेतु पत्र लिखकर निवेदन किया गया है। यात्री निवास स्थल पर ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारी (बी.डी.पी.ओ.) कटरा द्वारा सरकारी खर्चे से दो महिला एवं पुरूष स्नानघर व शौचालय का निर्माण किया जा चुका है और पानी के कनैक्शन के लिये भी सरकारी कोष से फंड मंजूर हो गया है और शीघ्र ही पानी की आपूर्ति का कनैक्शन चालू हो जायेगा।

जाट सभा द्वारा यात्री निवास भवन का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने का प्रयास था लेकिन कोविड़-19 महामारी के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा सका और इस महामारी का जाट सभा की वित्तीय स्थिति पर भी प्रभाव पड़ा है। जाट सभा चण्डीगढ़/पंचकूला यात्री निवास भवन का निर्माण करने पर वचनबद्ध है और वर्ष 2021 में निर्माण शरू कर दिया जायेगा।

यात्री निवास भवन का शिलान्यास व दीन बंधु चौधरी छोटू राम की विशालकाय प्रतिमा का अनावरण 10 फरवरी 2019 को बसंत पंचमी उत्सव एवं दीन बंधु चौधरी छोटूराम की 136वीं जयंती समारोह के दौरान महामहिम राज्यपाल, जम्मु काश्मीर माननीय श्री सत्यपाल मलिक द्वारा तत्कालीन केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पीएमओ डा0 जितेंद्र सिंह व जाट सभा के अध्यक्ष एवं हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक डा0 एम एस मलिक, भा0पु0से0 (सेवा निवृत) की उपस्थिति में संपन्न किया गया।

यात्री निवास भवन एक लाख बीस हजार वर्ग फुट में बनाया जाएगा जिसमें फैमिली सुईट सहित 300 कमरे होगें। भवन परिसर में एक मल्टीपर्पज हाल, कांफ्रेंस हाल, डिस्पैंसरी, मैडीकल स्टोर, लाईब्रेरी, बच्चों की प्रतिभा विकास एवं विभिन्न व्यवसायिक व सुरक्षा संबंधी सेवाओं में प्रवेश के लिए कोचिंग की विशेष सुविधाएं उपलब्ध होगीं। सुरक्षा सैनिकों, शहीद परिवारों व उनके आश्रितों के लिए मुफ्त ठहरने तथा माता वैष्णों देवी के श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएगीं। यात्री निवास के निर्माण के लिये श्री राम कंवर साहु सुपुत्र श्री पूर्ण सिंह, गांव बीबीपुर जिला जीन्द (हरियाणा), वर्तमान निवासी मकान नं0 110 सुभाष नगर, रोहतक द्वारा 5,11,111/- तथा श्री सुखबीर सिंह नांदल, निवासी मकान नं. 426-427, नेमी सागर कालोनी, वैशाली नगर, जयपुर द्वारा 5,01,000 रुपये की राशि जाट सभा, चण्डीगढ को दान स्वरूप प्रदान की गई है।

आप सभी से नम्र निवेदन है कि इस कल्याणकारी व पुनित सामाजिक कार्य के लिए स्वेच्छा अनुसार शीघ्र अनुदान देने की कृपा करें ताकि निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जा सके जोकि आज सभी के सहयोग से ही संम्भव हो सकेगा। यदि कोई दानी सज्जन यात्री निवास में कमरे के निर्माण हेतू 5 लाख रूपये या इससे अधिक की राशि दान देता है तो उसका नाम भवन परिसर में उचित स्थान पर अंकित किया जाएगा और उसे भवन में आजीवन मुफ्त ठहरने की सुविधा प्रदान की जाएगी। जम्मु काश्मीर के भाई-बहन व दानवीर सज्जन इस संबंध में चौधरी छोटु राम सेवा सदन के अध्यक्ष श्री सर्बजीत सिंह जोहल (मो0नं0 9419181946), श्री भगवान सिंह उप प्रधान (मो0नं0 8082151151) व केयर टेकर श्री मनोज कुमार (मो0नं0 9086618135) पर संपर्क कर सकते हैं। यात्री निवास भवन के लिए अनुदान देने वाले सज्जनों का उचित विवरण रखा जाएगा और उनका नाम जाट सभा द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका 'जाट लहर' में भी प्रकाशित किया जाएगा। भवन निर्माण की अनुदान राशि चैक, डिमांड ड्राफ्ट द्वारा 'जाट सभा चंडीगढ़' के पक्ष में जाट भवन 2-बी, सैक्टर 27-ए, मध्य मार्ग, चंडीगढ़ में भेजी जा सकती है अथवा आर टी जी एस की मार्फत सीधे जाट सभा के बचत खाता नंबर 50100023714552, आईएफएससी कोड- एचडीएफसी 0001324 में ट्रांसफर की जा सकती है।

अनुदान की राशि आयकर अधिनियम की धारा 80-जी के तहत आयकर से मुक्त है।

निवेदक : कार्यकारिणी जाट सभा चंडीगढ़/पंचकुला,
चौधरी छोटू राम सेवा सदन, कटरा, जम्मू

सम्पादक मंडल

सरंक्षक एवं सम्पादक : डा. एम.एस. मलिक, आई.पी.एस. (सेवानिवृत)

सह–सम्पादक : डा॰ राजवन्तीमान

साज सज्जा एवं आमुख : श्री आर. के. मलिक

प्रकाशन समिति : श्री बी.एस. गिल, मो॰ : 9888004417
श्री जे.एस. ढिल्लो, मो॰ : 9416282798

वितरक : श्री प्रेम सिंह, कार्यालय सचिव, जाट भवन, चण्डीगढ़

जाट भवन 2–बी, सैक्टर 27–ए, चण्डीगढ़

फोन : **0172–2654932 2641127**

Email: jat_sabha@yahoo.com; Website: www.jatsabha.org

सर छोटूराम जाट भवन, सैक्टर–6, पंचकूला

फोन : 0172–2590870, **Email: jatbhawan6pkl@gmail.com**

चौधरी छोटू राम सेवा सदन, कटरा, जम्मू

Postal Registration No. CHD/0107/2021-2023

RNI No. CHABIL/2000/3469

मुद्रक प्रकाशन एवं सरंक्षक सम्पादक डा. एम. एस. मलिक ने जाट सभा, चंडीगढ़ के लिए एसोशियटिड प्रिन्टर्ज, चंडीगढ़, फोन : 0172–2650168 से मुद्रित करवा कर जाट भवन, 2–बी, मध्यमार्ग, सैक्टर 27–ए, चंडीगढ़ से प्रकाशित किया।